मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड रायगढ़ एरिया, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छाल ओपन कास्ट एक्पांशन प्रोजेक्ट) में क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल 3.5 एम.टी.पी.ए. से 7.5 एम.टी.पी.ए. (पिक) लीज क्षेत्र 1342.86 हेक्टेयर के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 12 मार्च 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड रायगढ़ एरिया, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छाल ओपन कास्ट एक्पांशन प्रोजेक्ट) में क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल 3.5 एम.टी.पी.ए. से 7.5 एम.टी.पी.ए. (पिक) लीज क्षेत्र 1342.86 हेक्टेयर के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 12.03.2021, दिन–शुक्रवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम–नवापारा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के समीप स्थित मैदान, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई।

सर्वप्रथम श्री दिलीप बोबडे, कोयले की खदान में कार्य करने वालों की राष्ट्रीयकरण से पहले सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए भारत सरकार ने सन 1972–73 में जितनी भी प्राईवेट अथवा निजी कोयला खदान थी उसका राष्ट्रीयकरण कर अपने अधीनस्थ कर, उसे एन.सी.डी.सी. (नेशनल कोल डेवलपमेंट कंपनी) का नाम दिया जिसका मुख्य उद्धेश्य देश के विकास के लिए बढ़ती हुई उर्जा रूपी कोयले की मांग की आपूर्ति तथा मानवीय शोषण को रोकना था। विश्व में आज भारत वर्ष कोयले उत्पादन के लिए दुसरे स्थान पर है। अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन देख–रेख तथा मानव विकास के लिए 01 नवम्बर 1975 को कोल को इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसकी मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन है। कोल इंडिया लिमिटेड देश की महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 630 एम.टी. कोयले का उत्पादन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड में लगभग

N.B. Agenda

3 लाख लोग काम करते है, कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक अनुषांगिक कम्पनी हैं, उनमें से एस.ई.सी.एल. एक है। 01 नवम्बर 1985 को एस.ई.सी.एल. की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है तथा जिसके मुखिया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक है। एस.ई.सी.एल. ने कोयले के उत्पादन के अलावा कोयला उत्खनन किये जा रहे प्रभावित क्षेत्रों का समुचित विकास, पर्यावरण सम्बन्धी उपायों का क्रियान्वयन सामाजिक उत्थान तथा प्रभावित लोगों की समस्या के जल्द से जल्द निराकरण के लिए 13 क्षेत्रों में बंटवारा किया है। उनमें से रायगढ़ क्षेत्र एक है जिसका गठन सन् 1992 में हुआ है तथा मुख्यालय रायगढ़ में है। वर्तमान में रायगढ़ क्षेत्र के अधीनस्थ तीन उपक्षेत्र है, छाल, बरौद एवं बिजारी तथा जामपाली इसके अलावा गारे पेलमा उपक्षेत्र जिसमें गारे पेलमा प्‍द्ध1, गारे पेलमा प्‍द्ध2–3, एवं गारे पेलमा प्‍द्ध7 खुली कोयला खदान शामिल है जो कि कस्टोडियन खदान के रूप में एस.ई.सी. एल. के अधीनस्थ हैं। निकट भविष्य में पेलमा खुली कोयला खदान, दुर्गापुर खुली कोयला खदान एवं पोरडा–चिमटापानी खुली कोयला खदान प्रस्तावित है जिन्हें चालु किया जाएगा। प्रस्तावित छाल विस्तार खुली कोयला खदान सीम–03 परियोजना वर्तमान छाल खुली खदान परियोजना का ही विस्तार है। भारत सरकार द्वारा कोयला खदान परियोजना खोलने का उद्धेश्य बड़ी संख्या में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, स्पंज आयरन, सीमेंट उर्वरक एवं अन्य छोटे उद्योग स्थापित हो रहा है जिसमें लगातार कोयले की मांग बढ़ रही है। प्रतिवर्ष्‍ज्ञ देश में कोयले की मांग कम से कम 150 मिलियन टन बढ़ती जा रही है जिसकी आपूर्ति वर्ममान में चलित खदानों से पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए नई परियोजना को चालु करना नितांत आवश्यक है ताकि कोयले की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। भारत वर्ष में कोयला का उर्जा के रूप में लगभग 56 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। कोयले के उत्पादन में कमी होने से देश की अर्थ व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। कोयले का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बिजली पैदा करना एवं स्टील बनाना है। आप सभी को अवगत है कि बिजली ना रहने से शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा आदि उपयोगों पर प्रत्यक्ष पभाव पड़ता है, तथा स्टी ना होने पर देश का विकास कार्य रूक सकता है। इसलिए सरकार इन ज़ोगों पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान में एस.ई.सी.एल में तैरह कोयले क्षेत्र में रायगढ़ क्षेत्र कोयला उत्पादन में चौथे नंबर पर है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड द्वारा थर्मल पॉवर स्टेशन की स्थापना होने की संभावना है, पॉवर ग्रेड के कोयले की मांग की अपूर्ति हेतु, पर्याप्त कोयले का भण्डारण है, मुख्य मार्ग मे होने के कारण आसानी से कोयला परिवहन किया जा सकता है। प्रस्तावित छाल खुली खान सीम–3 परियोजना 6 एम.टी.वाय, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ में है जो कि खरसिया–धरमजयगढ़ मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। जिसका प्रशासनिक नियंत्रण महाप्रबंधक रायगढ़ क्षेत्र के अधीन है। परियोजना की स्वीकृति सी.आई.एल. के द्वारा 16.12.2013 के द्वारा परियोजना उत्पादन एवं लागत कुल निवेश 610.63 करोड़, श्रम शक्ति 296, कोयला उत्पादन की अधिकतम क्षमता 6 एम.टी.वाय से 7.5 एम.टी.वाय., कोयले का भण्डारण लगभग 151.36 एम.टी. परियोजना की अवधि 30 साल, ओवरबर्डन का निकाय 37 मिलियन क्वीबिक प्रतिवर्ष, स्ट्रीपिंग रेसीयो 5.63, कोयले का ग्रेड जी–11, कुल सिम 13 है। परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 6 एम.टी.वाय. क्षमता वाले इस परियोजना के लिए खदान क्षेत्र, ओ.बी. डमप कोयला रोड, कार्यालय भवन इत्यादि के लिए कुल 1342.86 हे. भूमि की आवश्यकता है जिसका भू–अर्जन कोयला धार क्षेत्र अधिनियम 1957 के हत् किया गया है। भूमि का मुआवजा तथा उसपर स्थित अन्य सम्पत्ति का मुआवजा नया अधिनियम के आधार पर दिया गया है। परियोजना के लिए मुख्य रूप से सात गांव की भूमि का अर्जन किया गया है जिसमें

छाल के प्रभावित 100 खातेदार, निजी भूमि 95.626 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 24.590 हेक्टेयर, बांधापाली में 213 प्रभावित खातेदार, निजी भूमि 113.557 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 101.797 हेक्टेयर, खेदापाली में 243 प्रभावित खातेदार, निजी भूमि 58.208 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 8.040 हेक्टेयर, ग्राम–चन्द्रशेखरपुर में 107 प्रभावित खातेदार, निजी भूमि 73.148 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 8.074 हेक्टेयर, ग्राम–नवापारा में 42 प्रभावित खातेदार, निजी भूमि 21. 859 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 23.567 हेक्टेयर, ग्राम–पुसल्दा में 2 प्रभावित खातेदार, निजी भूमि 0.264 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 7.033 हेटेयर भूमि का भू–अर्जन किया गया है जिसके लिये सभी गाव को मुआवजा वितरण किया गया है जिसमें छाल 32.62 करोड़ स्वीकृत, कुल भूमि 75.844, कुल राशि 24.85 करोड़, ग्राम–बांधापाली में 48.82 करोड स्वीकृत, कुल भूमि 63.810, कुल राशि 28.52, ग्राम–खेदापाली में 42.81 करोड़ स्वीकृत, कुल भूमि 21.697, कुल राशि 23.74 करोड़, ग्राम–चन्द्रशेखरपुर में 26.01 करोड़ स्वीकृत, कुल भूमि 66.805, कुल राशि 21.67 करोड़, नवापारा में 4.10 करोड स्वीकृत, कुल भूमि 13.044, कुल राशि 2.45 करोड़, ग्राम–पुसल्दा में 0.06 करोड़ स्वीकृत, कुल भूमि 0.264, कुल राशि 0.06 करोड़ प्रदाय किया गया है। परियोजना के लिए अर्जित 173.101 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा 28.36 करोड़ राज्य शासन के कोष में 23.03.2017 को जमा किया है शासकीय भूमि हेतु। वन भूमि हेतु परियोजना के लिए अर्जित 185.017 हेक्टेयर भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पालनार्थ भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन प्रक्रिया जारी है। ग्रामवार विस्तापन होने वाले परिवार ग्राम–छाल में 3 मकान तथा 05 परिवार, ग्राम–बांधापाली में 227 मकान तथा 347 परिवार, ग्राम–खेदापाली में 146 मकान तथा 207, ग्राम–चन्द्रशेखपरुप में 53 मकान तथा 99 परिवार है। परिवारों द्वारा रू. तीन लाख तथा निर्वहन भत्ता लगभग 77 हजार एक मुश्त राशि लेकर स्वेच्छा से अन्यत्र बसाहट हेतु सहमत है। प्रस्ताव मुख्यालय बिलासपुर भेजा गया है। परिवारों को पुनर्वास स्थल में 6 डिसमिल भूमि देने हेतु ग्राम–बांधापाली चर्च के पास में पुनर्वास स्थल का चयन किया गया है जिसे एस.ई.सी.एल. मुख्यालय बिलासपुर स्वीकृति हेतु भेजा जाना है स्वीकृति उपरांत ही पुनर्वास स्थल माना जायेगा। पुर्नवास स्थल में रोड, तालाब तथा कुए, स्ट्रीट लाईट खेल का मैदान, पार्क, स्कूल, शांपिंग सेंटर, स्वास्थ्य केन्द्र, नालियां, कलवर्ट, नल, जल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, वृक्षारोपण इत्यादि। ग्रामवार अर्जित निजी भूमि पर सृजित नौकरी दिनांक 22.03.2018 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक मान्नीय कलेक्टर जिला रायगढ़ की अध्यक्षता में एस.ई.सी.एल. प्रबंधन एवं छः ग्राम के ग्रामिणों के साथ बैठक हुई जिसमें कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के लागु करने हेतु सबकी सहमति बनी जिसमें ग्राम की अर्जित भूमि का खातेदारों के नौकरी हेतु अवरोही क्रमानुसार तय किया गया। कोल इंडिया पुनर्वास नीति में प्रति 2 एकड़ पर एक नौकरी दी जायेगी। जो नौकरी के लिये पात्र भूमि स्वामी है और नौकरी नहीं लोना चाहते है नौकरी के बदले 05 लाख प्रति एकड़ का भुगतान का प्रावधान है। नियमों के तहत् एस.ई.सी.एल. में नौकरी प्राप्त व्यक्तियों को 6 महीने की प्रशिक्षण अवधी के बाद, निम्न सुविधाए दी जावेगी पदस्थापना केटेगरी जनरल मजदूर में की जाती है, चिकित्सा सुविधा पुरे आश्रित परिवार को, प्रमोशन समयानुसार, आवास, बिजली, पानी की सुविधा, स्कूल की सुविधा, चार साल में एक बार एल.टी.सी./एल.एल.टी.सी., पेंशन, ग्रेचुटी रूपये 20 लाख एक मुश्त रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है तथा भविष्य निधि जो कि वेतन से 12 प्रतिशत काट कर कम्पनी द्वारा और उतनी ही राशि जोड़कर एवं उस पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज दर देकर रिटायरमेंट के बाद दिया जाना है। कोल इंडिया ही एकमात्र ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें भू–अर्जन पर रोजगार दिया जाता है। जिसमें अशिक्षित लोग भी है। कार्य के दौरान

मृत्यु उपरांत उसके आश्रित को पुनः कम्पनी में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। ऐसे प्रभावित व्यक्ति जो भूमिहिन है निम्न सुविधा का लाभ ले सकते है :– वैकल्पिक रोजगार के माध्यम से उन्हे ठेकेदारों के अधीनस्त प्रशिक्षण देकर कार्य दिया जावेगा, सहकारी समिति बनाकर, परियोजना में ठेकेदारी करने का प्रावधान है। शिक्षित व्यस्क पुरूष एवं महिलाओ को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण देकर जैसे कॅप्यूटर आपरेटर का प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई, मोटर मेकेनिक का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार के लिए स्वालंबी बनाया जावेगा। पुरूषों को ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि परियोजना में स्वयं का वाहन या अन्य का वाहन चला कर अपना जीवन यापन कर सकते है। प्रभावित व्यक्ति को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कंपनी किराये का वाहन लगाने का अवसर प्रदान करेगी। एस.ई.सी.एल. में ठेकेदारी श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उनके भविष्य निधि में ठेकेदार से अंशदान दिलवाया जावेगा तथा ऐसे ठेकेदारी श्रमिक जो 10 साल सेवा के साथ 45 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके है, वे पेंशन के हकदार हो जावेंगे। खदान में कोयला एवं ओ.बी. उत्खनन :– खदान में मिट्टी, ओवर बर्डन हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट कर शोवेल–डम्पर संयोजन कर कार्य होगा। कोयला उत्पादन एवं परिवहन नियंत्रण विस्फोट कर, सरफेस माइनर, एफ.ई.एल. व डम्पर संयोजन के साथ खनन कार्य किया जाएगा, कोयला भण्डार से कन्वेयर बेल्ड द्वज्ञरा साइलो से रेल्वे वेगन में लोडिंग किया जाएगा। खनन से पर्यावरण पर प्रभाव :– आधार भूम डाटा का विवरण निम्न संस्थाओं द्वारा बनाया गया है :– एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेण्टर लिमिटेड कोलकाता, माइक्रो मौसम विज्ञान डाटा, वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता के आंकड़े तथा ध्वनि गुणवत्ता के आंकड़ों से पर्यावरण डाटा तैयार किया गया है। मेसर्स सारदा, रायगढ़, झारखण्ड क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक जानकारी तैयार किया गया। बी.आर.डी.एस. कंसलटेंट चेन्नई द्वारा कोर जोन एवं बफर जोन के वनस्पति और जीवों का विवरण तैयार किया गया। सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा कोर जोन एवं बफर जोन का सैटेलाइट चित्रण तैयार किया गया। वायु प्रदूषण :– कोयला उत्खनन में वायु प्रदूषण के निम्न मुख्य कारण है – ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग से वायु में धूल तथा कोयले डस्ट का मिश्रण होगा, कोयले के लोडिंग डंपिंग परिवहन से, ओ.बी. के लोडिंग डंपिंग परिवहन से, कोयले से उत्सर्जित गैस सी.ओ.2 कार्बन डाई आक्साईड, एस.ओ.टू., सल्फर डाई आक्साईड के अल्प मात्रा में मिश्रण। उपाय :– सड़कों पर टैंकरों द्वज्ञरा पानी का छिड़काव कराना, गहन वृक्षारोपण व ग्रीन बेल्ट बनाना, वृक्षारोपण ओ.बी. डमप में रोड साइड तथा कॉलोनी में किया जावेगा, लोडिंग अनलोडिंग तथा आवश्यक जगहों पर स्थिर जल छिड़काव यंत्र लगाए जाएंगे, ओ.बी. डमप में वृक्ष तथा घास लगाना इत्यादि शामिल है, तारपोलिन ढककर कोयले का परिवहन, खदान क्षेत्र में सभी कोयला परिवहन वाली सड़कों का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा, खदान से रेल्वे लोडिंग पाइंट तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला ले जाया जावेगा, ब्लास्टिंग के दौरान धून को कम करने के लिए आप्टिमल ब्लास्ट होल जेमेट्री का पालन किया जावेगा, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जावेगी। ध्वनि प्रदूषण के कारण :– वर्तमान में ध्वनि की तीव्रता मानक स्तर से कम है, वाहनों के आवागमन से, ब्लास्टिंग कम्पन से, एच.ई.एम.एम. मशीनों के परिचालन से, सी.एच.पी. के चलने से, साईलो लोडिंग से इत्यादि। उपाय :– सड़को के किनारे, खदान परिक्षेत्र के चारो ओर आवासीय परिसर में सघन वृक्षारोपण, छ.ग. वन विभाग निगम के माध्यम से किया जावेगा जिसका घनत्व 2500 वृक्ष/हेक्टेयर होगा, मशीनों का सही रखरखाव व समय–समय पर मशीनों की जांच की जावेगी, खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इयर मफ, इयर प्लग जरूरत पड़ने पर दिया जावेगा, कंट्रोल ब्लास्टिंग एवं शक–न्वाईस प्रुफ नोनेल का

उपयोग किया जावेगा, ब्लास्टिंग के बदले कोयला उत्पादन सरफेस माईनर द्वारा किया जावेगा, ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना–ग्रीन बेल्ट के डेवलपमेंट के लिए उचे चौड़े पत्ते वाले तथा हर समय हरे रहने वाले पौधे लगाये जाएंगे, जिससे धूल व ध्वनि को शोषित कर प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित हो सकेगा, कोयले के स्टाक से बेल्ट द्वारा रेल लोडिंग किया जावेगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण :– मशीनों से तेल, ग्रीस, डीजल आदि का उत्सर्जन, कीचड़, कोयला, धूल का पानी मे मिश्रण, भूमि के नीचे उपस्थित रसायन, पानी की आवश्यकता 1940 घन मी प्रतिदिन। श्रोत खदान का पानी 1363 घन मी. भूमि तल 577 घन मी प्रतिदिन। उपाय :– खदान क्षेत्र के चारो ओर गारलैड ड्रेन बनाकर पानी को सेटलिंग टैंक में एकत्रित करना तथा घुलनशील पदार्थो के विस्थापन पश्चात निष्कासन किया जावेगा, खदान से निकलने वाले पानी का खदान के सम्प में एकत्रित किया जावेगा तत्पश्चात सेटलिंग टैंक के उपरांत ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप में शुद्धीकरण के पश्चात पानी का उपयोग पौधे में छिड़काव तथा घरेलु उपयोग में किया जाएगा। उपचारित जल का उपयोग पीने हेतु, कृषि हेतु तालाबो में छोड़ा जायेगा। रिटेनिंग वाल बनाकर स्वच्छ पानी का उपयोग किया जाएगा, सोकपिट बनाकर पानी का निष्कासन किया जाएगा। जीव एवं वनस्पति :– सम्पूर्ण क्षेत्र में विदेषी घुमंतु पंक्षीयों के लिए सहायक पर्यावरण नहीं है, वन्य जीव स्थलीय, राष्ट्रीय उद्यान एवं लगा हुआ राष्ट्रीय स्मारक संस्कृति विरासत क्षेत्र, जैव विविधिता से भरा पुरा क्षेत्र जीन भण्डार आदि इस प्रस्तावित सीमा में नहीं है यह मुश्किल से मिलने वाले खतरे में पड़े हुये परिस्थिति के रूप में महत्वपूर्ण जीव और वनस्पति प्रजातियों का पता नहीं चला है। कुछ जंगली प्रजातियों के वनस्पति घास एवं जीवों को छोड़कर अन्य कोई जीव या वनस्पति नहीं है, अध्ययन क्षेत्र में से पाये जाने वाले जीव और वनस्पतियों की प्रजातियां नहीं है। छाल खुली कोयला खदान सीम–03 खुलने से लाभ :– छाल खुली कोयला खदान सीम–03 खुलने से आस–पास के क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा एवं निम्न लाभ होंगे :– रोजगार सृजन होगा, राष्ट्र की उर्जा जरूरतों की पूर्ति होगी, भौतिक आधार भूत संरचना में सुधार होगा, सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, हरित आवरण में वृद्धि होगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होंगे, राज्य सरकार को रॉयल्टी, सी.जी.एस.टी., डी.एम.एफ. का लाभ होगा, केन्द्र सरकार को सी.जी.एस.टी., आयकर, सेस इत्यादि का लाभ होगा। सी.एस.आर. के तहत रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 597.11 लाख, 2014–15 में 741.78 लाख, 2015–16 में 400.75 लाख, 2016–17 में 97 लाख, 2017–18 में 209.11 लाख, 2018–19 में 356.82 लाख, 2019–20 में 36.18 लाख खर्च किया गया है। आर.एण्ड आर के तहत रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.22 लाख, 2015–16 में 3.86 लाख, 2016–17 में 21.41 लाख, 2018–19 एवं 2019–20 में 117.96 लाख, 2020–21 में 14.95 लाख खर्च किया गया है। सी.सी.डी.ए. के तहत् रायगढ़ जिले में 9798.19 लाख खर्च किया गया है।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 400–500 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 76 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. रघुवीर परिधान, एकता परिषद समन्वयक, रायगढ़ – यहां पर जो लोक सुनवाई है प्यावरणीय लोक सुनवाई है। यहां प्रभावित क्षेत्र के सरपंच लोगो को ई.आई.ए. रिपोर्ट दी गई है जनता को इसके वारे में कुछ नहीं बताया गया है। यहां संचालित कोयला खदान में प्यावरण मापदण्ड का पालन किया गया है। जमीन को फुलफील कर जमीन वापस किया जाता है ऐसा किया गया है क्या? अभी तक भू–स्वामियो लोगो को ही मुवआजा दिया जाता है। वन भूमि पर क्या फर्क पड़ा है। धोबी नाई, राउत का क्या व्यवस्था है। अभी तक जो मुआवजा मिलेगा उनके आने वाले पीड़ी क्या उसका उपयोग कर पायेगा। रास्ते में आठ–दस ट्रक में बीना तारपोलिन के परिवहन किया जा रहा था, क्या ये नियम का उल्लघंन नहीं है।
2. चमेलीबाई, चन्द्रशेखरपुर ऐडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
3. हेमकुमारी, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
4. राजकुमारी, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
5. बोधनी बाई, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
6. मुरलीधर नायक, नवापारा – खसरा 467,474,478,492,499/1, 501/1, 500/508/3 एवं 509 कुल रकबा 3.279 की भेमि अधिग्रहरण किया गया है। इस भू–अर्जन प्रक्रिया में ग्राम बोजिया में ग्राम गोदावरी लिमिटेड के जन सुनवाई में दर्ज करने पर भी अवेधानिक रूप से उद्योग आफिस के नाम परर अवार्ड पारित किया गया। 10 वर्ष होने के बाद भी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। एस.ई.सी.एल. से मिलने वाली मुआवजा हमें प्रदान किया जाये तक ससमर्थन करते है।
7. संतोषी, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
8. शांति राठिया, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
9. रत्थो राठिया, लात – 2005 – 06 में जिनकी जमीन भू–अधिग्रहण हुआ है तक नौकरी का प्रावधान नहीं था। लेकिन मै संघर्ष करती रही और आवेदन दिया तो आत नौकरी दी जा रही है। मैं. एस.ई.सी.एल. में मजदूर के पद पर कार्यरत हूँ ओर डाटा एन्टी आपरेटर के लिये आवेदन की हूँ। एस.ई.सी.एल. के आने के वाद आस–पास का विकास हुआ है। एस.ई.सी.एल. एक ऐसा कंपनी है जो मुआवजा के बाद नौकरी भी देती है। मै काम करने के बाद पढ़ाई भी कर रही हूं। कंपनी के आने के बाद इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुमुखी विकास हुआ है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
10. जानकी, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

11. राजकुमार, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
12. मदन पटेल, किसान मोर्चा अध्यक्ष, रायगढ़ – वनस्पती का जब क्षरण किया जाता है तो उसे लगाने की क्या व्यवस्था है। छ.ग. में पराम्परागत जो वनस्पति है उसमें लोगो को लकड़ी, दवा, मिलता है। जब जंगल कटते है तो जंगली जीव–जन्तु का बसेरा खत्म हो जाता है और आबादी क्षेत्र में आ जाता है तो उसके व्यवस्थापन के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है। रोजगार में अकुशल लोगो को मजदूर के नाम पर रोजगार दिया जाता है और तकनीकी क्षेत्र में बाहरी लोगो को दिया जाता है। सी.एस.आर. में राशि ककंपनी करेगा या प्रशासन करेगा। प्रशासन मनमर्जी उसे कुलर डेकोरेशन में खर्च करते है। व्यवस्थापन से लोगो को क्षतिपूर्ति नहीं मिल रहा है।
13. जय कुमार, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
14. तारा राठिया, पुछियापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
15. डंगेश्वरी राठिया – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
16. एशवर्या राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
17. लक्ष्मी राठिया – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
18. सनत कुमार, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
19. पंकज, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
20. जगदीश राठिया, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
21. बिरेन्द्र राठिया, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
22. राधेश्याम राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
23. आदित्य प्रताप, छाल – चन्द्रशेखर पुर एस.ई.सी.एल. मुआवजा बहुत कम बनाया है।
24. रमेलीबाई राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
25. जामबाई, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
26. जमूना बाई, एएडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
27. धमित्रो राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
28. त्रिलोचन राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
29. डमरूधर राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
30. राजलाल, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
31. शिव प्रसाद, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
32. शनिराम राठिया, चन्द्रशेखरपूर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
33. मनबोध राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
34. द्वारका, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
35. सोभित, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
36. भोजराम, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
37. नवरत्न राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

38. जोतधर, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
39. कृष्ण कुमार, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
40. श्रीमती बॉबी गघेल, चन्द्रशेखपुर – एस.ई.सी.एल. लाखो के संख्या में । प्रभावित लोगो को आर्थिक नुकासन देते है। भू–अधिग्रहण के मुआवता में कम दर पर देती है। नौकरी देना सुनिश्चित होने के बावजुद भी नौकरी नहीं है। लोगो को पुरा हक पुर्नवास दिये बिना उनका जमीन हड़पना चाहते है। हम पुर्णजोर विरोध करते है। प्रभावित लोगो की सम्पूर्ण भूमि का अर्जन किया जाये ताकी ताकी का विकास होगा नौकरी मिलेगा, जिसे लोगो का जीवन स्तर में विकास हो, हम एस.ई.सी.एल. का समर्थन करते है।
41. श्रीमती सालिनी गवेल, – एस.ई.सी.एल. रोजगार को जल्द से जल्द करायें।
42. रूकमणी, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
43. सुमित्रा राठिया – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
44. श्याम बाई जांगड़े, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
45. सुकमेत राठिया – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
46. फुलो राठिया – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
47. अमिता राठिया, छाल –
48. सुशीला श्रीवास, छाल – मजदूर आदमी है काम मिलें।
49. भगवती, छाल – कछु नहीं है घर में। गरीब है, काम दें।
50. बरत कुमारी, छाल – मोर कछु नहीं है, मोला निराश्रीत नी मिलत है। कुछ खाने को नहीं है।
51. शरद कुमार पटेल, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
52. मनोहर पटेल, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
53. धनश्याम, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
54. गंगाराम, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। पानी छिड़काव पांच गांव में हो रहा है झाडू लगावाये।
55. कैलाश सिंह राठिया, छाल – हमारा जमीन जा रहा है, उसके 02 नौकरी मिल रहा है उसमें 03 नौकरी मिलें।
56. सुरेन्द्र राठिया, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
57. अश्वनी कुमार, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
58. अनिता यादव, अध्यक्ष महिला समिति – जहां काम होता है उस क्षेत्र में स्थानीय लोगो को रोज़गार मिले। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
59. उमावति, शीतल महिला समिति – लोगो के विकास के लिये समर्थन करती हूँ। रोजगार का ध्यान दिया जाये।
60. सीमा भट्ट, शीतल महिला समिति– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
61. सुमन राठिया, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

62. साधमति, नवापारा– हमारी 90 डिसमील भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जो मेरी नानी का जमीन है, एस.ई. सी.एल. से पुछने पर 1.10 डि.मी. पर एक नौकरी प्रावधान है, एक्शपांश प्रोजेक्ट में जो प्रभावित है उनको नौकरी नहीं है तो उसका जीविका पार्जन का क्या साधन है। 14.8 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा रही है जिसमें 07 नौकरी का प्रावधान है । इस क्षेत्र से 721 हे. भूमि का अर्जन किया जा रहा है लेकिन अब 1342 हे. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। मेरा भूमि अर्जन किया जायेगा और नौकरी नहीं दिया जायेगा तो जीविकापार्जन कैसे होगा। अल्पआयु में में मेरी नानी के पति की मृत्यु हो चुकी है।
63. ललिता बाई– मैं साधमति की लड़की हूँ। आज एस.ई.सी.एल. मेरी जमीन ले लेगी तो मेरे बेटे मम्मी लोगो को कैसा पालन–पोषण करूंगी। मेरी मां का पालन पोषण कर रही हूँ। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करूंगी।
64. नीलम राठिया, छाल – नौकरी मांगने आई हूँ।
65. पुष्पा राठिया, छाल – नौकरी देवें।
66. मधुराम, छाल – बिजली हमर मोहल्ल में नी है, सब जगीह में है। ध्यान दें।
67. संगीता राठिया, छाल – नौकरी दें मेरे भाई कों।
68. कवंर सिंह, छाल – जो विधायक रोड़ बना है मुरूम पटाई नी हो रहा है दूर्घटना हो रहा है। ।
69. संकुतला, छाल – मेरे पति को जल्दी से नौकरी दे छोटे छोटे बाल बच्चे है।
70. बहारतीन बाई, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
71. राठिया, छाल – बहुओं को भी नौकरी दिया जाये।
72. बुधेश्वर प्रसाद राठिया, छाल – पूर्व में अधिग्रहण जमीन में हम लोगो को साढे पांच एकड़ जमीन गया है उसमें 01 नौकरी लगा है अगर हो सके तो 01 नौकरी दिया जाये । अभी 61 डिसमिल जमीन गया है उसमें भी नौकरी दिया जाये। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
73. आनंद राठिया, छाल – मेरा 45 डिशमिल जमीन है नौकरी दे।
74. मनोज भगत, नवापारा – बांधापाली में मेरा जमीन 08.75 एकड़ है। वर्तमान में जमीन अभी नहीं जा रहा है लेकिन बाद में वहां पानी नहीं जायेगा खेती नहीं होगा इस लिये बांधापाली का भी जमीन भी लिया जाये। यहां विकास के नाम से जो बात बताया जाता है वह विकास नहीं हो रहा है। यहां विकास के नाम पर 1.5 करोड़आया था। लेकिन यहां कार्य नहीं हो पाया है। वर्तमान में नवापारा में एस.ई.सी.एल. से कुछ नहीं हो रहा है। यहा किसी भी मद में कार्य नहीं कराया जा रहा है। सी.एस.आर. एवं अन्य मद का पैसा सिंु रायगढ़ में विकासकार्य हो रहा है। विकास के नाम कुछ नहीं है यहां सरी.सी. रोड़ भी नहीं है बाजार का भी निर्माण नहीं है। 27 साल बीत गया कोई विकास नहीं है।
75. नमो राठिया, छाल – मेरा पुरा जमीन 40 डिशमिल गया है और मेरे पास नही है नौकरी दे।
76. किशन लाल, छाल – अभी जितना भी जमीन गया है उसमें मेरा भी जमीन गया है नौकरी दिया जाये।
77. बाल कृष्ण राठिया, छाल – नौकरी दें।
78. दिलीप कुमार, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
79. संतोष कुमार राठिया, – एस.ई.सी.एल. में जमीन गया है नौकरी दें।

80. पंच राठिया, छाल – नौकरी दें।

81. ज्योति कुमार, धरमजयगढ़ – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। हमारे यहां कोल इंडिया में तीन पॉलीसी है। कोल इंडिया एवं सेन्ट्रल में 2 एकड़ में एक नौकरी है लेकिन छत्तीसगढ़ पॉलरीसी के तहत् 5 डिशमिल में भी नौकरी का प्रावधान है। कोल इंडिया में जो सिस्टम है उसमें नौकरी के साथ – साथ मुआवजा भी दिया जाता है एवं उसके बाल–बच्चे को 60 साल तक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं अन्य सुविधा दी जाती है। प्रा. कंपनी कोई रिक्श नहीं लेता लेकिन कोल इंडिया पुरी तरह से जान–माल का मुआवजा फिक्स किया गया है। लोगो से प्रार्थना है इस जन सुनवाई का समर्थन करें। एस.ई.सी.एल. विकास करती है, लोगो का विकास करती है, बोर, बोरिंग, भवन का निर्माण होता है। सी.एस.आर. का पैसा जिला एवं ब्लॉक में न खर्च कर आस–पास के गांव में खर्च होना चाहीए।

82. टी.एल. गौवसी, – आज विस्तार परियोजना का समर्थन करता हूं। इस क्षेत्र में ऐसो एक मात्र कंपनी है जो 1992 में खुला है, विकास आपके ससामने है, रेल लाईन आ गई, सड़क में विकास हुआ, ये जो कोल इंडिया है अधिग्रहण प्श्चात् नौकरी देता है। 50 प्रतिशत् रोजगार दिया जाता है जिनके पास जमीन नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी आस–पास के 10 कि.मी. की परिधि में है उसका व्यवस्था किया जाता है। क्षेत्र के लोगो से मैं अनुरोध करूंगा की समर्थन करें, विकास होगा।

83. बाबु, छाल– हाथी क्षेत्र है। ।

84. सुशील सारथी, चन्द्रशेखरपुर– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

85. रामप्रसाद राठिया, छाल – नौकरी दें।

86. सतीश कुमार राजपुत, छाल – एस.ई.सी.एल. खुलने से 10000 लोगो को प्राफिट होगा। प्रभावित किसानों को नौकरी मिलेगा।

87. महेन्द्र नायक, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

88. राम बंजारे, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

89. अनिल कुमार, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

90. रतनसिंह, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

91. जगमोहन राठिया, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

92. महेत्तर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

93. अर्चन सिंह राठिया, छाल – 2004–5 में भू–अर्जन में गंगेश्वरी, जनकराम राठिया को नौकरी आज तक नहीं लगा। जिसका माता–पिता नहीं है लड़की असहाय है। हमारा समर्थन तभी मान्य होगा, जब शिसक्षा, स्वास्थ्य में विकास हो, लोगो का विकास हों।

94. पृथ्वी सिंह, एडू– मेरा जमीन एडू में फंसा है नौकरी नहीं दिया है, अभी 2.27 एकड़ फंसा है नौकरी दे तो समर्थन है।

95. सुरेन्द्र, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

96. महेत्तर सिंह राठिया, – जल्द से जल्द नौकरी दे, 90 डिशमिल फंसा है असिंचित मुआवजा मिला है सिंचीत मुआवजा मिलें।

97. कविता साह, लात – मेरा जमीन 4 एकड़ ले चुका है मेरे जमीन में 350 पेड़ है जानकारी दें। किसान लोग आये है 12–15 साल से नौकरी नहीं दे पाये तो अभी क्या देंगें। शासन जब जमीन लिया तो नहीं पुछा और अब नौकरी के समय ये लाओ वो लाओ बोला जाता है। उस टाईम क्यो नहीं मांगा गया। अभी नौकरी के लिये 2 लाख मांग रहे है। जो पैसा दे रहे उनका लिस्ट आ जा रहा है। और हमारा नहीं आ रहा है। लात वाले भुखे मर रहे है।

98. खिरराम, खेदापाली – हमारा जमीन गया है, जिसे दो फसली मुआवजा दिया जाना चाहिए। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

99. बरतलाल, खेदापाली – रिटार्यड पटवारी से सर्वे करवाया गया है।विरोध है।

100. हर्ष ठाकुर, बांधापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। गांव का विकास हो। गांव के युवओं को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलें।

101. सियाराम कवंर, बांधापाली – मेरे मकान का सर्वे नहीं हुआ है, जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। झुठ मुठ का सर्वे कर मुआवजा बना दिया है। सर्वे से संतुष्ट नहीं हू मै।

102. हेमा राठिया, – नौकरी की समस्या हो पूर्ण करें। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

103. हर्षित सिंह, छाल– हमको 70 प्रतिशत् मुआवजा मिला है। एस.ई.सी.एल. कहता है कि घ्सार छोडत्र तो मुआवजा मिलेगा।

104. दिनेश, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

105. घसनीन बाई, नवापारा – मेरा जमीन को रजिस्ट्रेशन करा कर ले लिये है मुआवजा नहीं दिये । नेता लोग पैसा ले लेते है मेरा कौन नहीं सुनता है। मुझे पेशी में बुलाते है।उनको नहीं मेरा कोई नहीं ।

106. रमेश अग्रवाल, रायगढ़ – माननीय एन.जी.टी. की प्रकरण 104/2018 शिवपाल भगत 20.11.2020 का आदेश। इस क्षेत्र में नई औद्योगिक गतिविधियों में एन.जी.टी. ने प्रतिबंध लगाया गया है। इस विस्तार के लिये जो ई.आई.ए. बनाई गई है वो एन.जी.टी. को लागु करती है। इस हाई पॉवर कमेटी में कलेक्टर महो. भी मेम्बर है। अगर विचार किया जाये जो जन सुनवाई की नौबत नहीं आती है। ई.आई.ए. 04 साल पहले बनी है डाटा 03 साल पुराने है, ई.आई.ए. इनवेलिड है। ई.आई.ए. 6.0 एम.टी.पी. का है और मांग रहे है 7.5 एम.टी.पी.ए तो इसमें कितनी गाडियां लगेगी, कितना कोयला होगा। जब ई.आई.ए. में 6.0 एम.टी.पी.ए स्वीकृत है तो 7.5 क्यो मांग रहे है। मैने परियोजना प्रस्तावक को बुलाने प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। सी.एम.पी.डी. आई. ने इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई है। सितम्बर 2020 में अपडेट किया गया है कि ई.आई.ए. सस्पेंडेंट है या कैंसिल है। इन्होने और एक कंसलटेंट को इन्वांल किया है, दो क्यों। क्या वो ई.आई.ए. बनाने की अथारिटी है। इनका स्कोप क्या है। इन्होने कितनी ई.आई.ए. बनाई है। ई.आई.ए. बनाने वाले कन्सलटेंट को अन्डरटेंकिन देनी होती है, जो कि पुरी रिस्पोंसिबिलिटी उसकी स्वयं की होगी। मेट्रोलॉजिकल डाटा जो ई.आई.ए. बनाने में लगती है, जो आईएम.डी. रायगढ़ से लेते है लेकिन ये कटघोटा कैसे पहुंच गये। आई.एम.डी. स्टेशन कटोघटा में है या नहीं । छाल से रायगढ़ की दूरी कितनी है, इन्होने 65 कि.मी. छाल बताया है। अगर एरियल हो तो भी और बाईरोड हो तो भी इनती दूरी नहीं है।

ई.आई.ए. के चेपटर 02 के 35 नं पेज में कहते है ब्लास्टिंग नहीं करेंगें। चेप्टर 02 के 39 नं. पेज में कहते है ब्लास्टिंग करेंगें। ई.आई.ए. समझ से बाहर है। चेप्टर 02 के 52 में कहते है कि रायगढ़ से रेल्वे लाईन बनायेगें, लेकिन 10 साल से बना रहे है। 10 साल पहले भी जनसुनवाई में कहां बना रहे है आज भी कहते बना रहे है। एस.ई.सी.एल. द्वारा मॉनिटरिंग किया जाकर बताया गया है कि एल–07 सारसमाल दी है इन्होने। छाल क्षेत्र के 10–20 कि.मी. क्षेत्र में कहीं सारसमाल नहीं है। 2010 में इकबेंडमेंट बनाने की बात कही थी। क्या अब फिर से कोयला खदान के बेक साईड में नदी का जो रिर्वर बेड है उसमें बनायेगें या बाउण्ड्री में बनायेगें। कोर जोन एवं बफर जोन में जो जीव जन्तु :– हाथी, चिता, भालू, हिरण, गाय, भैस आदि मिलते है। इनको गाय, भैस, हिरण कुछ नहीं मिला, इनको 05 जीव मिला। कन्सजरवेशन प्लान नहीं बना है तो ई.आई.ए. कम्पिलिट नहीं है। 2017 में इन्होने ई.आई.ए. बनाई 2010 में कन्सजरवेशन बन रहा है। यह एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है बोर्ड लगा है, यहां हाथी कारीडोर बनवाया गया है। एस.ई.सी.एल. भी कहीं बोर्ड लगा दें यहां पर। स्टेट हाईवे बनेगा तो कहां से रास्ता जायेगा कौन–कौन से गांव प्रभावित होगें। टी. ओ. आर. नं. 10, 16। ग्राउण्ड वाटर का कोई एन.ओ.सी. नहीं है। प्रोजेक्ट लगा रहे है उसका कास्ट कितनी होगी ? इनका कहना है टी.ओ.आर. में नही है तो हमने भी नहीं दिया।

107. बई, एडू– मनोज को नौकरी मिलना चाहिए।
108. सहेतीन बाई, चन्द्रशेखपुर – जमीन एस.ई.सी.एल. गये है, कलेक्टर 61 में डन करे रिहिस। नौकरी अभी तक नहीं मिला है । पहली भी नौकरी नही मिलिस अभी भी। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
109. सावित्री, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
110. कन्हैयालाल, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
111. लेखराम राठिया, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
112. सीताराम कवंर, – सर्वे नहीं हुआ है उसे सर्वे करा दिजीए। एक घर में एक नौकरी दें।
113. चिरंजीव कुमार, बांधापाली– मेरी सम्पूर्ण भूमि एस.ई.सी.एल. द्वारा अर्जन किया गया है और मुआवजा नहीं मिला है। मुझे नौकरी दिया जाये।
114. दीपक कुमार, – उचित मुल्यांक के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। आज का बाजार का मुल्य, मकान बनाने में जो लागत है उसे उस हिसाब से मुआवजा दें। इस क्षेत्र में माईन्स के आना अच्छा है तो वो अच्छा बनाने में क्या क्या कर सकती है। क्षेत्र विकास के तौर पर ग्रामीणों को क्या मिल रहा है। इस बिन्दुओं पर विचार करें। ग्रीमण गरीब है उन्हे कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है।
115. बेनु प्रसाद, छाल – मैं विगत 1994 से एस.ई.सी.एल. में कार्यरत् हूँ। एस.ई.सी.एल. कोल इंडिया एक महारत्न कम्पनी है। आस–पास का विकास एवं उनके सबसे ज्यादा लाभ देने वाली कंपनी एस.ई.सी.एल. है। सैलरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधायें हमें एस.ई.सी.एल. पूर्ण रूप से दे रही है और आस–पास के ग्रामीण भी ले रहे है। आस–पास के लोग भी यहां कार्यरत् है जो अपने परिवार को मजबूत बनाये हुये है। कर्मचारियों के साथ–साथ ग्रामिण क्षेत्र का विकास हुआ है। एस.ई.सी.एल. की योजना से ग्रामीणों को भी

इस योजना का लाभ मिल रहा है। यहां स्कूल बस की सुविधा है। सी.एस.आर. मद की राशि 10 कि.मी. क्षेत्र के विकास के लिये हो।

116. विसम्बर, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

117. थनेश्वर पटेल, बांधापाली – नौकरी दिया जाये। पुर्नवास दिया जाये। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

118. नेतराम चन्द्रा, बांधापाली – मुआवजा वितरण तो किया गया है लेकिन स्थायी नौकरी नहीं मिलती तब तक जीवननिर्वाह भत्ता दिया जाये। जिनकी जमीन ली गई है उनकी पुरी जमीन लिया जाये।

119. तिरथलाल, एस.ई.सी.एल. नवापारा कालोनी – हमारे परिवार के लोग एस.ई.सी.एल. में काम करते आ रहे है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

120. राधेश्याम शर्मा, जन जागरण, रायगढ़ – 25 वर्ष के सामजिक जीवन में शासकीय कार्यो समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। एस.ई.सी.एल. के बहुत सारे काम सहारनीय है लेकिन पुर्नवास एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया की गति बहुत न्यून है। 2008 में जमीन मुल्यांकन हुआ है उसका मुआवजा 2020 में दिया जा रहा है। एक ही प्रकार की जमीन का एक व्यक्ति 50 लाख दिया जा रहा है और एक व्यक्ति को 10 लाख नहीं मिल रहा है। ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है तो सरकारी प्रोजेक्ट एस.ई.सी.एल. गलत क्यो कर रही है। एस.ई.सी.एल. के महाप्रबंधक और मंत्रालय में बैठे लोगो के चेहरी में फर्क नहीं है। इस क्षेत्र में 07 ग्राम पंचायत है, उनके ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यो नहीं है। यह एक पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। इस देश में प्रशासनीक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। कानुन का उल्लघंन हो रहा है और होता ही रहेगा। कानुन का पालन करवाने के लिये पाकिस्तान से जाकर निवेदन करना पडेंगा। प्र्यावरण सुरक्षित नहीं है। रायगढ़ जिला में घरघोड़ा, तमनार में सबसे ज्यादा दुर्घटना एवं प्रदूषण है। छ.ग. की जनता कानुन के पालन को लड़ने के लिये तैयार नहीं है। छोटे मोटे पत्रकार साथियों द्वारा 06 जन सुनवाई में अभी तक पेपर में समथर्न–विरोध दर्ज नही कराया गया । देश के चौथे स्थम के मुख्या लोग दलाली कर रहे है। अधिसूचना में 14.09.2006 में स्पष्ट उल्लेखित है, पांचवी अनूसूची है। अब तो राष्ट्रपति कंपनी वाले है चाहे हो वो निजी हो या सरकारी कंपनी। एस.ई.सी.एल. के बच्चे प्रदूषण से नहीं मरेंगें क्या। देश में जो कानुन बनाया जा रहा है उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं प्र्यावरण कानून को फाड़ रहा हूँ। मैं अधिससूचना को होशो हवास में फाड़ा हूँ।

121. टोपीवाले – हमारी बात कोई सुनने वाले नहीं है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

122. सुरज ध्रुवे, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

123. राजकुमार, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

124. रमेश पात्रे, एडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

125. प्रताप, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। जिनका जमीन गया है, उनको मुआवजा रोजगार पुनर्वास का व्यवस्था करें। लोक स्वासयि और प्र्यावरण को ध्यान में रखें।

126. हर्ष लकड़ा, – मै जन सुनवाई विरोध करता हूँ। इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। प्रदूषण से लोग बहुत प्रभावित है। यहां के लोग कई प्रकार के बिमारियों से प्रभावित है जैसे चर्म रोड, स्कीन रोड, दमा। यहां के पेड़ पौध तक काला हो गया है। पेड़ प्रदूषण में ज्यादा जी सकते है लेकिन फसल तो जयादा दिन तक नहीं रह सकते है। हमारे खाने के लिये प्रदूषण ही है।
127. बेनाम, लात – 2005 में मेरा घर बना, सर्वे किया गया, मुआवजा नहीं मिला ।
128. पुष्पा सारथी, – सरपंच सचिव सब को बोले राशन कार्ड दे लेकिन अभी तक नहीं बना है नौकर दे। छोटे छोटे बच्चे है मेरा कोई नहीं है।
129. तारिका तरंगीनी लकड़ा, सामारूमा – मै आज इस जनसुनवाई का विरोध करती हूँ। यहां प्यावरण, ग्राम सभा के बारे में बोल चुका है। यहां प्यावरण के दृष्टि से उद्योग लगाने लायक नहीं है। 1342.86 हे. जमीन में जो लोग विस्थापित होगें वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। उन्हे ये पहचान दी गई है उनके पुर्वजो द्वारा यहां उनका देवालय है जिसे उन सब लोग मानते है। वो सब अब मिट जायेगें। जो इस बात को प्रमाणित करते है कि यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। ये पहचान का महत्व आप समझ सकते है कि उससे देश में रहने के लिये क्या महत्व रहता है। भू–अधिग्ररण हमारी पहचान के मिटाने का काम कर रहा है। 2020 में नागरिकता संशोधन कानुन है जो दस्तावेज मांगे जायेगें तो 90 पूर्व का डाटा कहां से लायेंगें। इस क्षेत्र के लोग पढ़े–लिखे तो है नहीं जो जन्मप्रमाण पत्र बनवाये अब बचा जमीन उसे भी सरकार ले लेगी। रायगढ़ जिले में किसी भी तहसील में मिशल के लिये जाये तो कम्प्यूटराईट मिलती है। हम सरकार को कैसे साबित करे की 70 साल से हम भारत के नागरिक है। हम विदेशी घुसपैठ साबित हो जायेगें। आप पहले तय करे पट्टे हमारे साथ हो, जब आपका काम हो जाये जो जमीन हमें वापस दें। आप लोगो से उनका हथियार छिन रहे है। भू–अधिग्रहण कानुन करोड़ो लोगो की पहचान छिन लेगी। जमीनी रिकार्ड आप छिन रहे हमशे। गांव के लोग सोच रहे है हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन लोग आकर कह रहे है कि मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हस चीज को समझ कर कानुनी कार्यवाही करें। एन.सी.आर. का कानुन आयेगा तो भुपेश बघेल ने कहा कि मैं साईन नहीं करूंगा। मै इस लोक सुनवाई का पुर्णजोर विरोध करती हूँ
130. संकुतला पटेल, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
131. चमेली पटेल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
132. सतपुरूष महर्षी – मुलभुत सुविधाए जो अभि तक हमें प्रदान नहीं किया गया है, जिसे प्रदान करना चाहिए। इस क्षेत्र में बहुत कंपनी है, इस क्षेत्र के प्रदूषण की क्या हाल है कोई ध्यान नहीं दे रहा न कंपनी न सरकार। आज लात माईस है जिसमें बहुत ब्लास्टिंग होने के कारण गांव के घरो में दरार हो चुकी है। एस. ई.सी.एल. के पास 1000 बार जाने से कोई ध्यान नहीं देता। छ.ग. पुर्नवास निति लागु करायाय जाये। खदान से जल स्तर बहुत गिर रहा है। आने वाले समय में माईस खुलेगा तो न जाने क्या होगा। ग्राम खेदापाली ग्राम एस.ई.सी.एल. एवं रेल्वे लाई के बीच में है और एक बड़ा डेम है खेदापाली डुब जायेगा। अगर ग्राम को पुरी तरह से नहीं लेती है तो बहुत कठीनाई होगी। आज आप अधिकारियों के आने से रेड़ में पानी छिड़काव किया गया है। जब रात में इतनी गाड़िया चलती है कुछ दिखाई नहीं देती। क्षेत्र में

पर्यावरण को देखते हुये एक वाटिका बनाये जाये। क्या वह हमे इस सुविधा को दिला पायेगें। एस.ई.सी.एल. क्षेत्र में निःशुल्क अस्पताल की व्यवस्था करा पायेगा। रास्ते में एक्सीडेंट होतो है तो एम्ब्लेंस भी मुहयया नहीं पाती । खदान खुलने से बहुत बिमारी हो रहे जिसे खेल के मैदान में बच्चेस नहीं दिख रहे यहां एक खेल का मैदान बनाया जाये। हाई पॉवर ब्लास्टिग कर रहे है जिससे बहुत दिक्कत हो रहे है। उसे कम किया जायें। एस.ई.सी.एल. से प्रभावित क्षेत्र में लोगो को नौकरी दें।

133. लक्ष्मीप्रसाद वर्मा, एडू– साढे पांच एक जमीन गे हें। 2014 में पुरा ग्राम वासी चन्द्रशेखरपुर ने क्षतिपूर्ति का सुनवाई नहीं हुई है। जमीन को नहीं बेच पाये न धान को। 2018 मुआवजा दिया गया और बोला गया 03–04 माह में नौकरी दिया जायेगा। आज बोला जा रहा है जन सुनवाई के बाद नौकरी दिया जायेगा। आज तीन साल हो गया हमारा खर्चा कौन देगा। हमें धोखा में एस.ई.सी.एल. मत रखे । जानकारी गुप्त रूप में रखते है। जो बात है उसे खेल के बतायें।

134. जन्मजय, बांधापाली– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

135. जयंत बहिदार, रायगढ़ – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड , के छाल खुली खदान का 3.5 एमटीपीए से 7.5 एमटीपीए की जन सुनवाई किया जा रहा है। जहां कोयला है बॉक्साईट है वहां उत्खनन होगा यह तो तय है। अगर सरकारी कंपनी को अनुमति नहीं मिलेगा तो जिंदल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले, सोषण करने वालो को कोयला सौंप दिया जायेगा। सरकारी कंपनी रोजगार के मामले में, सामाजिक विकास के मामले में ज्यादा संवेदनशील होते है। हम इस कंपनी का समर्थन करते है। जिन लोग समर्थन में बोल रहे और विरोध में भी बोल रहे उनको भी नोट करे कार्यवाही करें। मुआवजा मिला, नौकरी नहीं मिला परिवार वाले को तो जिला प्रशासन की दायित्व है। यहां पर खेल के लिये स्टेडिय, कॉलेज, अस्पातल भी होनी चाहिए। यहां रेल लाईन बना है तो निश्चित है कि माल के साथ साथ सवारी गाड़ी भी चलेगा किसी दिन छाल में रेल्वे स्टेशन भी बनेगा। 629 व्यक्ति से जमीन लिया गया है। 2 एकड़ में एक आदमी को नौकरी मिलता है तो निश्चित है 600–700 लोगो को रोजगार मिलेगा। बिजारी में 50 डिशमिल जमीन गया है उसे भी नोकरी दिया गया है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में निजी कंपनियां के प्रदूषण का क्या हाल है जनता नहीं जानती क्या। एस.ई.सी.एल. से नाम मात्र का प्रदूषण निकलता है। 90 प्रतिशत् अब रेल लाईन से परिवहन होगा तो प्रदूषण बहुत कम होगा। जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बनता है उसे अंग्रेजी में विवरण किया जाता है, प्यावरण अधिकारी गंभीरता से ले इसे और हिन्दी सार दें। इस क्षेत्र के लोग क्या अंग्रेजी पढ़ सकते है क्या। हिन्दी में ई.आई.ए. का वितरण करें। एस.ई.सी.एल. ने 99 प्रतिशत् सही बना के दिया है। निजी हो या सरकारी कंपनी ई.आई.ए. की जांच होनी चाहिए। जल संसाधन, उद्योग, प्यावरण विभाग, नगर पंचायत, सब जांच कर जन सुनवाई कराये। यहां के लोगो को तो कुछ मालुम ही नहीं होता वो तो समर्थन/विरोध करने आते है। उन्हे समझाना चाहिए। डी.एम.एफ. फण्ड का उपयोग कोल प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए ना की जिले के अन्दर। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ और मुआवजा जिनका है उन्हे दे, जिनकी जमीन गई है उन्हे रोजगार दे। यहां आई.टी.आई खुलना चाहिए। उन्हे प्रशिक्षण देकर नोकरी दें।

136. भीम देवांगन, रायगढ़ – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। इस क्षेत्र के विकास के लिये एस.ई.सी.एल. कर सके उतना करना चाहिए। ये आखरी जन सुनवाई तो है नी एस.ई.सी. एल. का। जितने खामिया कहा जा रहा है उसे एस.ई.सी.एल. को नोट करना चाहिए और उसे पुरा करना चाहिए ताकि अगले जन सुनवाई में एस.ई.सी.एल. समर्थन हो। ओपन कास्ट के कारण जो लोगो को विमारिया हो रही है उसे देखते हुये यहां मल्टी अस्पताल होना चाहिए। यहा जो बेरोजगार है ऐसे बेरोजगार दिया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरबा अच्छा काम करता है तो आश बनती है िकइस क्षेत्र में अच्छा काम हो। लोगो को ठगा न जाये अच्छा काम किया जाये।

137. संतोष बहिदार, पुसौर जनपद सदस्य, रायगढ़ :– पुसौर में एनटीपीसी लगा है मैं उसके बारे में जानता हूँ। हम जानते है निजी और शासकीय उद्योग क्या है। शासकीय उद्योग निजी लाभ भी देती है। पर निजी उद्योग कभी लाभ नहीं देती। पत्रकारो, रिपार्टर, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा निजी कंपनी की गलतिया छुपा दिया जाता है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन कर रहा हूँ। निजी उद्योग पुरे क्षेत्र को खा गया। शासकीय उद्योगो से हम जनहित का काम करवा सकते है। परन्तु निजी कंपनीयों का देश स्तर में सेटिंग है।

138. मनोज कुमार, छाल – हमारा जमीन गया है इस क्षेत्र में। हमें नौकरी मिल रहा है। बाहर से आये और विरोध कर रहे है। क्या हम मौत के डर से जीना छोड़ दें। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मेरा फाईल कटप लाईन के आखरी में है । कोशि करे मेरा ना लिस्ट में आयं।

139. रूपेन्द्र, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मेरा भी फाईल नहीं आया है।

140. जमक राम राठिया – 415 नौकरी है इस क्षेत्र में । मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। बहुत मजदूर है यहां खदान नहीं रहेगा तो कहां जायेगें ये सब।

141. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – कुछ ई.आई.ए. के त्रुटियों को चूंकि यह बार–बार यह आ रहा है कि यहां पे सर आपसे यह सवाल करना था कि आपके पास इंगलिश का ई.आई.ए. है क्या टेबल पे वहां पे उपलब्ध है सर तो सर उसका पेज खोलिये और उसको पढ़िये बहुत अच्छा सा अब तक का बेहत्तरीन इंटरटेन्मेंट अगर अपने आप को करना है तो इस जनसुनवाई का मजा लेना है तो पेज निकालकर उसको पढ़िये आदरणीय आपको बता दूं की जो यह ई.आई.ए. जो बना है इसमें इन्होने लगभग 07 साल पुराना डाटा डाला हुआ है। वर्तमान में जो जनसुनवाई हो रही ह जिस तरीके से पर्यावरणीय मुद्दो की जनसुनवाई हो रही है तो पर्यावरणीय आधार में इनके पास सबसे पहले तो हिन्दी में ई.आई.ए. नहीं बनाया गया है सबसे बड़ा चीज यह है और जब हिन्दी में नहीं बना है क्षेत्र के लोग हिन्दी भाशी हैं तो उस स्थिति में पर्यावरणीय जनसुनवाई करवाना और उनसे राय लेना किसी भी किसम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ऐसे जनसुनवाईयों में सरकार के तमाम प्रयासों आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से प्रषासनिक रूप से जिस तरीके इसमें पूरी ताकत छोंक दी गई है इस खदान के विस्तार के लिये उसका पूरा आधार ही ई.आई.ए. ही पूर्ण रूप से इसमें गलत आंकड़े हैं रही बात हम भी मानते हैं यह सरकारी कंपनी है लेकिन दूरभाग्य से अगर आप एन.टी.पी.सी., लारा हो चाहे आपका एस.ई.सी.एल. हो चाहे ऐ पैरालल आप देंखेगे यह निजी

कंपनियों से बद से बदत्तर इसकी व्यवस्थाऐं जिस तरीके से की जा रही है उस आधार पर किसी भी किसम का अगर आप देखें अपको बता दूं मैं ई.आई.ए. से जाने से पहले एक दो जो स्टोरी है यहां का एस. ई.सी.एल. के खदान का जो रियल स्टोरी है उसमें से सर आपको बता दूं की सौभाग्य से मैं यहां 2006 से लगातार जमीनी का करती हूं और एस.ई.सी.एल. प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से यहां के हालात है प्रभावित युवायों के आदिवासी क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र है पेशा कानून के अंतर्गत आता है ग्राम सभा की मान्यता यहां सबसे महत्वूर्ण मानी जाती है और जिस तरीके से यहां का लिटरेसी रैंक है आप यहां की साक्षरता दर की ओर जायें और यहां पे अगर आप इनको अंग्रेजी का ई.आई.ए. थमा दें और इसके बाद ये उनको कहें की आप यहां आ जाइये और इस जनसुनवाई में अपना मत अभिमत रख दीजिये तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो प्रभावित लोग है वह इनके पास जो इस चार पेज का जो सीधे तौर पर यह समरी रिपोर्ट है इसके आधार पर यह जनसुनवाई हो जानी चाहिये क्या इस बात कि सीधे तौर पर की नहीं करनी चाहिये एस.डी.एम. धरमजयगढ़ को जिला कलेक्टर रायगढ़ को कि यहां के स्थानीय भाशा में ये सरल प्रक्रिया में की युवाओं को समझाया जाये समर्थन कौन कर रहा है भाई साहब आपके कंपनी का जो मजबूर युवा है जिनको आपके लटकाके के रखे हैं कि आप इस जनसुनवाई में जाके समर्थन कर दीजिये तो आपकी नियुक्ति करा दिया जायेगा तब। अगर आपके मन में यहां के स्थानीय युवाओं के प्रति स्नेह और अपनापन एवं उनके उज्ज्वल भविश्य की अगर सोंच होता तो शायद उनको यह ब्लैकमेलिंग नहीं किया जाता एस.ई. सी.एल. कंपनी के द्वारा उनका जो अंतिम टच फाईल है उनका साईड न करके आप उनको यह मजबूर कर रहे हो कि जाके हमारे कंपनी का समर्थन करेंगे किस बात का समर्थन कर रहे हैं अरे मजूबर है यहां के युवा उसको आप मजबूर कर दिये हो कि नौकरी के कारण मजबूर हो के समर्थन मांग रहा है क्या उसको पता है कि कितना यहां का प्रकुतिक संसाधन के रिर्सोस इनके खदानों के कारण कितना नदी–नाला, जीव–जंतु जानवर, किसी का भी कुछ नहीं है यहां पे आपको एक स्टोरी बता दे की यहां सर आप भी जा सकते हैं यहां से मैं बोलती रहूंगी चाहे तो पर्यावरण अधिकारी साहब आप जा सकते हैं मैं आराम से यहां बोलती रहूंगी मेरा मुद्दा यहां पे बेकार करवाना है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आदरणीय आपको बात दूं की यहां पे एक जब मै 2016 में यहां पे एक केस देख रही थी तो आपको बता दूं रथबाई राठिया वर्सेस एस.ई.सी.एल. के केस का जो जितने वाले लोग हैं वह हम ही लोग हैं। इसी एस.ई.सी.एल. के में उनके नौकरी के बात को लेके उनके पुनर्वास एवं पुरबसर की स्थिति को लेके उनके डेटाओं को लेके रत्थु बाई राठिया वर्सेश एस.ई.सी.एल. जो कि अनुकंपा नियुक्ति के लिये उस महिला के संघर्ष में कंधे से कंघे मिलाके लड़ने व अधिकार दिलाने वाले में से हूं मैं सविता रथ मुझे पता है कि किस तरीके की चुनौती आती है रथ कुमार राठिया को यह साबित करने में कि उसको नौकरी एस.ई.सी.एल. के अंदर चाहिये और 1972 के कानून के तहत् एस.ई.सी.एल. ने खुद अपनी कानून के तहत् उस महिला को यह बताया गया कोई महिला होने के नाते आपको एस.ई.सी.एल. में नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसा विकास है किस किसम का विकास है यहां देश की आधी आबादी को आप सब लोग नौकरी देने के लिये नहीं चाहते महिलाये नौकरी नहीं करेंगी लेकिन हां महिलाओं के नाम से जो जमीन है ओ जमीन आपको माईनिंग के लिये चाहिये और बाता दूं जिनको भी यह गलतफैमी है कि यह सरकारी

कंपनी है तो यह भी आप जान लें कि इनके जो कर्मचारी है वह यहां नौकरी करने आए हैं उनको कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है न आपके मुद्दो से न आपके हालातों से और नहीं उनके जाने के बाद आपको बता दूं कि जो यह इस जनसुनवाई में इन्होने कहा है कि राज्य की राजधानी में इन्होंने जो जनसुनवाई दस्तावेज हिन्दी व अंग्रेजी संस्करण में लिखा गया है। दो उपरक्त संस्करणों के बीच में जो भी विसंगती की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण इस दस्तावेज संस्करण की भावना, इरादा और अर्थ निर्धारण करने में प्रबल रहेगा और इनके अंग्रेजी के ई.आई.ए. को यहां हांथ उठा के बता दीजिये की कितने लोग इस अंग्रजी के ई. आई.ए. के तकनीकी मुद्दों को इसमें पढ़ रहे हैं कितने लोग यहां समझ सकते हैं। कितने ग्राम सभा पेषा कानून के तहत् यहां के पंचायत प्रतिनिधि, जनपद प्रतिनिधि, बीडीसी, डीडीसी और माननीय यहां के विधायक महोदय इस ई.आई.ए. को जानते हैं पढ़ना क्या यहां के स्थानीय जो आंगनबाडी कार्यकर्ता हैं मितानित है जो प्रभावीत लोग है इस ई.आई.ए. को पढ़ लेगें उनकी भावनाऐं उनको अंग्रेजी में लिख के दे देंगे। दुनिया का कोई भी खदान है वह कभी भी काई विकास लेके नहीं आता है अगर विकास लेके आता और खदान इतना महत्त्वपूर्ण होता तो आपके जानकारी के लिये यह बात दूं कि प्रकृति ने जिस तरीके से कोयले को अपने गर्भ के अंदर छिपा के रखा है प्रकृति खुद नहीं चाहती की कोयला जैसे विनाशकारी खनिजों का खनन हो उसमें अगर आप खनन कर रहे तो आपके आस बता दूं की सरकारी खदान के साथ–साथ केवल धरमजयगढ़ नहीं कुडुमकेला, तमनार, सारंगढ़, बरौद, बजारी इन तमाम क्षेत्रों में आपके अभी तक पिछले खदानों के विवाद अभी तक नहीं सुलझा है। कोर्ट केस काई अभी तक नहीं सुलझा है बिना ई.आई.ए. के बिना व्यापक ई.आई.ए. के बिना गहन अध्ययन के, बिना डाटा के बिना आंकड़े के किस आधार पर इस जनसुनवाई पर आप अपनी बात रखेंगे नहीं रख सकते साहब इसमें आप इस जनुसनवाई को तत्काल स्थगित या इसे निरस्त करके दुबारा ई.आई.ए. बनाने के लिये आप इनको भेजिये अब हम आते है अंकीय ई.आई.ए. के महत्तवपूर्ण बिन्दु में महोदय आपको बता दूं की जो आज की यह परियोजना है चन्द्रशेखरपुर, छाल, नवापारा, खेड़ापाली, बांधापाली, पुसल्दा, लांत 1342.46 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हो रही है। अगर आप देख तो की किसी खदान से 25 किलोमीटर के रेडियस के आने के परिक्षेत्र के अंदर के पूर्व वह जमीन, जल एवं वहां का जनधन प्रभावित होता है इस बात की सीधे तौर पर भ्रामक डेटा एस.ई.सी.एल. के द्वारा करते हुये जानबुझ के इसका समरी रिपोर्ट में छाल खुली खदान का एक पेज लगाके ये दे दिया है क्या बात रखेंगे आप क्यों ये नकली काम है कमसे कम साहब हमें आपसे से तो यह उम्मीद नहीं थी इसका जो कन्सल्टेंस है वह काहां है कहां हैं भाई साहब आपके इसमें हांथी का मुद्दा रखा नहीं चाहिये नौकरी करनी है आप सबको यहां के स्थानीय लोगों का कुछ भी भला हो, अच्छा हो बुरा हो यह नहीं सोचना है यहां के पर्यावरण में कोई लेना देना नहीं है आपको बात दूं कि यह जो आपका जनसुनवाई है इसी बात का 14 सितंबर 2006 के राज्य में आवेद करने के 45 दिवस के अंदर आप को यह जनसुनवाई करवा देना था। यह जनसुनवाई आप नहीं करवा पाये तो यह साफ आपके कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला है यह मामला तो केन्द्र सरकार तीन लोगों की कमिटी बनाके पहले एस.आई.ए. बनाएगी सोषल इम्पेक्ट एसेस्मेंट रिपोर्ट यहां 25 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट पहले बनाना पढ़ेगा फिर पेषा कानून के तहत् ग्राम सभा की अनुमति लेना पड़ेगा वहां आपको 33 प्रतिषत महिलाओं के

हिस्सेदारी साबित करनी पड़ेगी इसके बाद यहां से जिला कलेक्टर के द्वारा 03 लोगों की कमिटी बनाके फिर जांच करेगी तब ई.आई.ए. बनाने की अनुमति मिलता है। क्यों नहीं आप पढ़ते हैं ई.आई.ए. के नियम जनसुनवाई कराने आ जाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी की सरकारी अमले से की ई.आई.ए. का सबके पास एंड्रॉयड मोबाईल सबके हांथों में होता है साहब आप ई.आई.ए. और पब्लिक हैयरिंग का पूरा नियम कानून को पहले पढ़ें और उसके बाद ही ऐसा जनसुनवाई को आयोजित करने के लिये अनुमति दें। खुद की अपनी फजियत न करवायें बहुत बुरा लगता है कि आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप हमारे पोषण आपको पिछले जनसुनवाई में आपको कहा था कि इस तरीके की जनसुनवाई होती है तो चाहे निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो उनसे एक बजट लिखके जमा करवाना चाहीये सी.एस.आर. के तहत् आपको बता दूं साहाब इनके ई.आई.ए. आगे बढ़ते हुये बता देंते हैं कि किस तरीके से यहां इस ई.आई.ए. के साथ घपला हुआ है। आपको बतादूं कि एस.ई.सी.एल. छाल खुली खदान परियोजना का यह क्षेत्र जो है यहां पे पेशा कानून के साथ–साथ यहां प्रतिवार टीम को पेड़ लगाने की बात थी इनको इन्होने क्षेत्र में एस. ई.सी.एल. पूर्व में कोयला खदान संचालित है इनको वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्वायरमेंट क्लीयरेंस दिया गया था। जिसका पालन इनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया। वहीं आपको बातदूं कि इनरके उपर एन.जी.टी नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट के माण्ड नदी के मामले में जब हम केस लेके गये थे तो माण्ड नदी को इन्होने अपने ओवर बर्डन से इसको कब्जा करके रखा है उसको खाली करने की बात थी पौधा लगाने की बात थी जो आज तक नहीं हुआ है तो क्यों विस्तार मिलना चाहीये जब इनके पुराने पिछले जो काम है इसको बेहतर ढंक से नहीं करवा सकते हैं। हमारी ऐसी कोई सकरारी एजेंसी नहीं है जो मूल्यांकन कर पाये जो इनका निगरानी कर पाये डी.एम.एफ. के पैसे का क्या आप जानते है चक्रधर कला संस्कूति में इनका पैसा सीधे जाता है। यहां के स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी यहां के हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है कोई एकाद हॉस्पिटल नहीं है किस बात का विकास किसका विकास यहां के आफिसरों का यहां के नेताओं का किसका विकास या जिसका जल, जंगल, जमीन जिसका संपूर्ण रूप से जिनका संसाधन गया है उनका कोई विकास नहीं है। तो आप यह बताईये की ऐसे परियोजनाओं को विस्तार दें क्या इनको नहीं इनके नियमों में कहा गया है कि इनके खाली पड़ी खदानों को पाट के पुनः कुशि योग्य बनाई जाये तभी इनको विस्तार दिया जाये पढ़िये सर इनको ई.आई.ए. में इनको मिला है इनको कि यह पहले खाली पड़ी खदानों को पहले पाटेंगे इसके बाद उसको कृशि करने के योग्य बनाने के फिर उसमें पौधारोपण, फल फूल लगाके हालाकि यह दुनिया का अंतिम तथ्य है कि कोई भी प्राकृतिक चीजों को चाहे वह नदी हो नाला हो पहाड़ हो मिट्टी हो उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती फिर भी एक प्रयास करने की आवश्यता थी। लेकिन इनके पास जिले में 16 सौ करोड़ रूपये डी.एम.एफ. की राषि होने के बावजूद इनकी काई इच्छाशक्ति नहीं है दुर्भाग्य है यह पूरे रायगढ़ जिले में कि ऐसे प्रषासनिक अधिकारी ऐसे इच्छाषक्ति वाले नेता हैं और ऐसे सीधे साधे भोले जिनको मालूम नहीं है किसी नियम कानून का यहां पुछके इनको नियमों को यहां बता रहे हैं नहीं बताया गया उसमें भी फिर महिलाऐं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है इनको इस परियोजना का और इस आधार पर ऐसे जनसुनवाई का तत्काल निरस्त करना चाहीये। आपको बता दूं कि आप के इस यहां पे पुनर्वास एवं पुनरबसर की योजना को पहले किया जाये उन लड़कों

को महिलाओं को नौकरी दिया जाये। जिसका एक इंच भी जमीन खदान में जा रहा है इसके बाद ही किसी किसम के विस्तार की बात करें। आपको बता दूं कि इनके कार्यालय में रायगढ़ जिले के मीडीया की हैसियत नहीं है कि घुस जाये इनके ऑफिस में नहीं घुसने देते तो ऐ साधारण लोग घुस लेगें प्रभावीत घुस लेंगे यहां से 80–90 किलोमीटर दूर है इनके आने जाने का किमत कितना लगता है 250 से 300 आप देख लिजीये अपने बीपीएल राशनकार्ड उठाके कि कितना यहां बीपीएल राशनकार्ड देते हैं गरीब प्रभावित आदिवासी इनके पास दौड़–दौड़ के जाता है। धरमजयगढ़ एस.डी.एम. के पास जाने के लिये 100 रूपये वहां जाने के लिये 200 रूपये 400 रूपये साहब आने जाने का खर्चा होता है और खाना तो यहां कई बाद भूखा बंदा जाता है यहां और इनके ऑफिसर ए.सी. रूम में बैठकर ए.सी. गाड़ी में बैठकर लाल होते हुये सज के निकलते हैं ये बोल दिजिये आज नहीं है। इस संघर्श जो आज हमारे जैसे लड़ते हैं ना ओ जानता है आप एक बार यहां के प्रभावितों को आज यहां जन सुनवाई हो गई तो 06 बजे के बाद आप हो चाहे एस.ई.सी.एल. का अधिकारी हो किसी को नहीं पहचानेंगे यह मेरा दावा है पहचान लोगे जी आपको नहीं पहचानेगें ऐ आपको बता रही हूं 05 बजे जनसुनवाई खत्म हुई और और इसके बाद इनको नहीं पहचानेंगे आप अभी लिस्ट निकालिये सीधा गनका शिविर लगाइये जनसुनवाई के बगल में एक टेंट लगाइये कितने लड़कों की नौकरी महिलाओं की नौकरी पहले क्लीयर करें इसके बाद विस्तार दें। पहले यहां विस्तार इस बात का हो ई.आई.ए. तो भ्रामक है ई.आई.ए. की बात नहीं कर सकते कम से कम एस.आई.ए. में कर रहे हैं। आप पहले इनको नियक्ति कराई लाईन से दूसरा लाईन आके यहां समर्थन चले जायेंगे ठिक है अच्छा लगा सुना आप लोगों ने ऐसे जनसुनवाईयों से पहले आप एस.आई.ए. बनावइये यहां के स्थानीय प्रभारीयों को यहां के हालात बताइये सही डेटा रखिये सही आंकड़े रखिये इसके बाद ई.आई.ए. बनवाइये इनके बाद पेषा कानून को कम से कम प्रशासन एवं केन्द्र प्रशासन इसको सम्मानित करें हमारी आदिवासी संस्कृति को और यह जनसुनवाई तत्काल निरस्त हो जब तक कि यहां के पूर्व के स्थानीय विवादों का निराकरण नहीं होता किसी किसम की एक इंच जमीन का समर्थन न दिया जाये। काई भी जनसुनवाई न कराया जाये।

142. रेखा, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
143. सरस्वती साहू, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
144. सुमित्रा, नवापारा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
145. ईश्वरी, लात – इस क्षेत्र का विकास हुआ है मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। नौकरी मिले।
146. विद्याबाई, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
147. सागर, बांधापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर लिया हूँ। मुझे नौकरी दिया जायेगा तो मजदूर में तो मुझे इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है। ।
148. टमित मिश्रा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। रोजगार प्रदान किया जाये। एस.ई.सी.एल. द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है।
149. डालेश्वर, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

150. शिव कुमार राजपुर, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

151. कुशल सिंह, बांधापाली – प्यावरण के लिये कुछ काम नहीं किया गया है। आप आये तो रोड़ में पानी डाला गया है। इस लिये मैं विरोध करता हूँ। हम लोगो को वन भूमि का पट्टा दिया गया था। जिसे 25 डिश्मिल को कलेक्टर महो. द्वारा निरस्त किया गया है। मुझे उसका मुआवजा दिया जाये।

152. हिमांशु राठोर, छाल– हमारी जमीन ली गई है। पेट कट रहे उसका वृक्षारोपण कराये, सड़क में पानी छिड़काव पुरा करें। समर्थन तभी होगा मांगे पूर्ण होगी।

153. नान्हुराम, बांधापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

154. सजल कुमार, धरमजयगढ़ – मै पहले भी इस रोड़ में गया हूँ पहले पानी छिड़काव नहीं होता आज हुआ है। 21.12.2001 से 2021 तक 24 लोगो का हाथियों से मौत हुआ है। खदान के आने से ही हाथियों का हाल ऐसा है। हाथियों का सुरक्षा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है मैं इस कंपनी का विरोध करता है। 150 हेक्टर जंगल क्षेत्र में नष्ट होगा। हाथियां का बड़े पैमाने में नुकासान होगा।

155. मुरलीधर राठिया, छाल– नौकरी देवें। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

156. अशोक कुमार, चन्द्रशेखर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

157. भुनेश्वर राठिया, ऐडू – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

158. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना रायगढ़ – सम्मानीय आज के पीठासीन अधिकारी श्री कटारा साहब सम्मानीय आज के पर्यावरण अधिकारी यहां एस.ई.सी.एल. के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण हमारी सुरक्षा के लिये रात दिन काम करने वाले यहां पुलिस के समस्त पदाधिकारीगण नव जवान साथी गण और आस–पास के प्रभावित गांवों के आए हुए जो लोग हैं आप सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। सर जो आज की जनसुनवाई हो रही है ये केन्द्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के अनुसार की जा रही है और जब ये काफी साथियों ने अपनी बात को कहा अगर हम पुरे माईनिंग क्षेत्र के लिये अगर देखें तो लगभग इस परियोजना में 1242 हक्टेयर जमीन 707 गांवों की जा रही है। पहली बात तो हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो जो केन्द्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय की जो अधिसूचना है और सर इसमें एन.जी.टी. ने भी एक आदेश दिया है उस एन.जी.टी. के और पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेशानुसार ई.आई.ए. को जो बनाना है ओ अंग्रजी में बनाना है, हिन्दी में बनाना है और स्थनीय भाशा में बनाना है। और जब हम यहां के ई. आई.ए. को देखते हैं तो ई.आई.ए. के साथ–साथ एक समरी है जो मुश्किल से चार पन्ने की और इसकी बेसिक ई.आई.ए. देखेगें तो वह है लगभग 450 पन्ने की ऐसी कौन सी समरी हो सकती है सर की एक समुन्द्रर को एक तालाब के अंदर भर सकती है ऐसा संभव तो नहीं है। बहुत साथी अभी अपने बात को बोल रहे थे कुछ लोगों ने कहा जो लोग विरोध करने वाले लोग है ये सर यहां का विकास नहीं चाहते मैं इस क्षेत्र में 2010 से जब काम करना चालू करना चालू किया सर जब पहली माईनिंग जब यहां खुली 2006 में और उसकी 2008 में जब सुनवाई हुई उस जनसुनवाई में अपनी बात को रखने वाले केवल 41 लोग थे और उनमें से 04–05 लोग हम लोग थे जल अपनी बात को रखी थी बुनयादी सवाल यह है जब आप एक किसान के जमीन को भू अर्जन की प्रक्रिया में लेते हैं तब केवल जिसके नाम से जमीन है उसी को सूचना देते हैं कि आपकी जमीन धारा 09 के तहत् भू अर्जन की जाती है। 2010 में मैने यह देखा सर

जिनकी जमीन एस.ई.सी.एल. में गई जब उन्होंने नौकरी की मांग की तब मांग एस.ई.सी.एल की थी आप अपने बहन से भी एनओसी लेके आइये अपने चाचा से भी लेके आइये अगर बहन मर गई है तो उसके पति से एनओसी लेके आइये उसके भांजी से एनओसी लेके आईये मेरा साफ स्पश्ट यह मानना है कि अगर आप जमनी ले रहें है तो उतने लोगों से आप भी एनओसी लेके आईये और जमीन को आप लीजिये और जब प्रभावित लोग नौकरी मांगे तो उनसे आप एनओसी मांगीये और आपको बता दूं सर मेरे पास उन लोगों की सूची है जिनको पिछले ई.आई.ए. में नौकरी में दी गई और नौकरी की प्रक्रिया में सविता ने हमारे साथ काम करते हैं जिन्होने कहा यहां एक रत्थो बाई नाम की एक लड़की थी जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई मां बुढ़ी थी भाई दुर्घटना में मर गया ओ लड़की जब एस.ई.सी.एल. में पहली बार नौकरी मांगी तो एस.ई.सी. एल. का जवाब था कि 1984 माइनिंग एक्ट के तहत् महिलाओं को नौकरी नहीं दी जा कसती है और इस बात का सौभाग्य है की उस पूरे केस को हम बिलासपुर हाईकोर्ट लेके गये और हमारे तीन प्रश्न थे की जब भारत का संविधान लिंग के आधार पर जात के आधार पर धर्म के आधार पर उंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करता तो फिर एस.ई.सी.एल महिला और पुरूश के आधार पर नौकरी का बटवारा कर सकती है। दूसरा हमारा होईकोर्ट को यह प्रष्न था कि ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जो केवल पुरूश कर सकती है महिलायें नहीं कर सकती स्पश्ट कर दिजिये और तीसरी बात यह है कि अगर महिलाओं को अगर भेदभव नहीं है तो एस.ई.सी.एल. को जो माईनिंग एक्ट 1984 बना था किसने बनाया और उसमें कोयला मंत्रालीय के सचिव का दस्तखत था तो जब मैने हाईकोर्ट में दस्तावेज रखा तो मैने पूछा ये एक्ट किसने बनाया तो उन्होने कहा यह कोयला सचिव ने हमने हाईकोर्ट के अंदर खुद यह बोला की क्या लोकसभा एवं राज्य सभा के अंदर देष के कानून बनते हैं तो अगर कोयला सचिव ही कानून बना लेगा तो राज्य सभा के जो सदस्य हैं ये लोक सभा के जो सदस्य हैं ये झक मराने के लिये ये वहां बैठेंगे। और छः महीने के निर्णय के बाद एक साल तक रत्थो बाई को एस.ई.सी.एल. ने घुमाया और एक साल बाद उस लड़की को नौकरी मिली आज मैं यह कह सकता हूं की जो नाले का पानी में होथों से बाहर करके रत्थो बाई करती थी फटे कपडों में वहां मछली मारती थी आज वहीं रत्थों बाई एस.ईसी.एल में नौकारी करके स्कूटी चलाती है जींस पहनती है चष्मा लगाती है और यही मैं मानता हूं की यह हम लोगों की सफलता है। सर आपको बता दूं की जिन लोगों ने कहा कि हमको नौकरी मिलेगी उन लोगों को मैं समझा दूं की नौकरी लेनी कितनी टेड़ी खीर है सर जब हम यही आदिवासी जब हम जमीन लेते हैं तो वह राठिया रहता है कवर रहता है अलग–अलग जाती के आदिवसी समुदाय के लोग रहते हैं। एस.ई.सी.एल. में नौकरी करने के लिये एक फाईल तैयार करने के लिये एसडीएम कार्यालय से यहां तक 40,000 से 75,000 तक की घुस ली जाती है। ये ढंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं और मेरे पीछे कुछ मित्र खड़े हैं उनको आगे मैं कर देता हूं तो क्या जिन लोगों की जमीन भू अर्जन में आऐगी फिर यहां चिटफंड कंपनियां यहां आयेंगी वह दिन दुगुनी रात चौगनी इनका पैसा कर देती है और 16 सौ करोड़ रूपये में से 8 सौ करोड रूपये ले के चिटफंड कंपनी यहां रातो रात यहां से भाग जाती है और ये जो हमारे नौजवान साथी है इनके उनके फाईल को आगे तैयार करने के लिये आस पास के व्यापारियों से 15 प्रतिषत ब्याज में पैसा लेकर के फिर एस.ई.सी.ए. में नौकरी करने के लिये ऐ अपनी फाईल तैयार करते हैं। ऐ सच्चाई है यह हकीकत है मैं यह

कहता हूं कि अगर आपकी नियत साफ है तो आप जमीन का भू अर्जन कर लिजिये किसनों के खाते में आप पैसा डाल दीजिये फिर एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों को नौकरी करने के लिये कौन–कौन से दस्तावेज चाहीये उनकी सूची बना लीजिये। यह कहके कलेक्टर साहब के माध्यम से एसडीएम को तहसलीदार को पटवारी आर आई को यहां बुला लीजिये और यहीं इनकी फाईल तैया करवा के आप वेरीफाई कर लीजिये और उनकी नौकरी दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद आप दे दीजिये और इसके बाद आप कोयला खदान चाजलू करीये सर जिन लोगों की जमीन 2006 में गई उस आदमी को 2015 को उसके लड़को को नौकारी नहीं मिली थी। आखिर जिस आदमी का 10 साल तक ओ धक्के खाते रहा जिसको आर्थिक क्षती हुई अगर 2006 में नौकरी मिली होती उसको सैलरी के रूप में लगभग 10 लाख रूपये मिल गये होते क्योंकि परमंथ 45000 से 50,000 बेसिस पर एस.ई.सी.एल. में न्यूनतम सैलरी होती है। ओ नुकसान की भरपाई कौन करेगा उसके लिये जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा की एस.ई.सी.एल. जिम्मेदार होगा। और हम यह कहते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि एस.ई.सी.एल. की जनसुनवाई होती है आज इनके और गांव वालों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं परंतु जितनी सरकारी कंपनी और समुदाय के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी शायद किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर साहब नहीं होती बुनियादी सवाल है कि मै तो सुझाव ही केवल देता हूं क्यों आप तालियां ठोंकते हैं मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पूर्व विधानसभा में जितनी जमीन आप कोल माइंस के लिये ले रहे हैं उतनी जमीन में वहां पर सौर उर्जा लगा हुआ हैं और लगभग 750 मेगावाट बिजली पैदा होती है वहां आप कोयला बिजली के लिये खोदना चाहते हैं आप पॉवर प्लांट के लिये खोदना चाहते हैं तो जहां का कोयला आप निकाल लिये है पिछली बार जो जमीन लिये थे उस जमीन का आप समलीकरण किजिये उसको कृषि योग्य बनाईये और वहां सौर उर्जा के प्लेट लगाइये और 500 मेगावाट बिजली बेचिये सरकार लेने के लिये तैयार है क्योंकी पूरे दूनिया में आपको विकल्प तो खोजना पड़ेगा कोयला आपके पास कितने साल के लिये 50 साल 100 साल के लिये आपतो कोयला निकालर पॉवर प्लांट चला लोगे आपके लड़कों का क्या होगा क्या उनको बिजली नहीं चाहिये उनको कपड़े नहीं चाहिये उनको रोजगार नहीं चाहीये उनको रोजी रोटी नहीं चाहिये तो बुनियादही सवाल यह है सर जब मैं ई.आई.ए. का अध्ययन कर रहा था सर मैं बहुत उम्मीद से आता हूं काफी साथियों ने कहा की सरकारी कंपनी का विरोध नहीं करना चाहिये मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता मैं आलोचक नहीं हूं मैं समयालोचक हूं मै यह कहता हूं कि क्या इस ई.आई.ए. के अंदर क्या 07 गांवों के जो आंगनबाडी भवन है जहां बच्चे पढ़ते हैं जो प्रायमरी स्कूल है जो मिडिल स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले लोग है क्या उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ यहां कुछ लोगों ने कहा की टीबी, दमा, स्नोफिलिया जिस तालबों में वह निस्तार कर रहे हैं उनको खाज और खुजली भी हो रहा है यहां आस–पास हॉस्पिटल नहीं है उनको खरसिया, धरमजयगढ़ जाना पड़ता है या घरघोड़ा जाना पड़ता है तो क्या एस.ई.सी.एल. नहीं कर सकता दूसरी बात अभी कुछ साथी मेरे को बता रहे थे कि एस.ई.सी.एल. द्वारा यहां एक संचालित स्कूल है सर वहां उनके एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों के बच्चों की अगर फिस 50 रूपये है तो जो प्रभावित लोग है उनके बच्चे पढ़ने जोत हैं तो उनके बच्चों की फिस 500 रूपये है 500 रूपये है सर अब बुनियादी सवाल यह है कि जब 83 प्रतिशत लोगों को बीपीएल को राशन देते हो 300 से 500 रूपये आप पेंशन देते हो अगर उस गरीब आदमी के दो

भी बच्चे गलती से हैं तो इसका मतलब वह एस.ई.सी.एल. के अच्छे स्कूल में पढ़ाने का वह अधिकार नहीं रखता क्यों कि उसके पास फिस नहीं है देने के लिये तो क्या एस.ई.सी.एल. क्या समाज या समुदाय के लिये सोचता है तो यहां के लोगों के लिये बेहतर स्कूल नहीं होनी चाहिये फिर आपने कहा कि दो एकड़ में एक नौकरी मैने दस्तावेज देखा लगभग 455 लोगों को नौकरी इसमें मिलेगी साहब 07 ग्राम पंचायते हैं 1600 स लेके 200 तक के जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को एक ग्राम पंचायत कहा जाता है याने की अगर 07 ग्राम पंचायत है तो वहां के रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 14000 के आस पास आपके आंकडों के मुताबिक होती है 14000 में से आप कितने लोगों को नौकरी दोगे 455 लोग याने 500 लोग भी नहीं होंगे तो बाकी 13500 लोगों का क्या होगा क्या ओ अपराधी बन जाये चोरी करे, गांजा बेचे, दारू बेचे, चरस बेचे ऐ वाला धंधा करने चालू कर दें तो आपके ई.आई.ए. के अंदर जो 13500 लोग हैं उनके ई.आई.ए. के अंदर क्या योजना है क्या महिलाओं के लिये कोई योजना है क्या यूथ नव जवान के लिये आई.टी.आई. करवायेंगे गाड़ी व्हीकल की ट्रेनिंग दें उनको भी कहीं आप क्या सेटल करेंगे फिर तीसरी बुनियादी सवाल यह है कि सर पुनर्वास जिन 07 गांवों का पुनर्वास होगा एक पुनर्वास में देखा हूं विगत छः महीने पहले आपकी पाईप लाईन बिछ गई पानी टंकी भी बन गई सर आज तक उससे पानी सप्लाई नहीं हुई क्यों कि साहब के पास टाईम नहीं है पानी सप्लाई के टोंटी दबाने के लिये उद्घाटन होगी सर फोटो खींची जायेगी माला पेहनाये जायेंगे तो लांत के लोग जब तक साहब के पास टाइम नहीं होगा तब तक लोग प्यासे मरते रहें। अभी अभी मुझे गांव के लोग बता रहे थे एक हफ्ते पहले मैं यहां आया भी था अच्छा लगा की एस.ई. सी.एल. के अंदर कुछ संवेदनशील अधिकारी है विगत तीन से जो हम लोगों के बीच में जो संवाद होते हैं उन्होंने सड़क की व्यवस्था हम लोगों की निवेदन पर किया वहां एक बांध उन्होनें वहां बनाया एक प्राथमिक पाठशाला शाला उन्होने वहां बनवाया पेयजल के लिये उन्होने वहां पानी टंकी बनवाई पाईप लाईन तो बिछा दी किन्तु उसकी शुरूआत आज तक नहीं हुई मैं निवेदन करना चाहूंगा की आप से 02 किलोमीटर दूर यहां विधायक जी है अगर ओ न आ पाते हो तो आप मेरे को बताइये मैं अभी फोन करूंगा कल सुबेरे आ जायेंगे पानी का सप्लाई आप चालू कर दीजिये गांव के लोगों को पानी पिने के लिये दीजिये तो सवाल हमारा यह है तो जिन लोग प्रभावित लोग होंगे आप पर्यावरण स्वीकृति लोगे ओ हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गन नहीं है वो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के हांथ में हैं परंतु जो परिवार यहां विस्थापित हो रहे हैं तो मेरा यह कहना सर की जो लोग यहां विस्थापित हो रहे हैं उन परिवारों को सबसे पहला काम होना चाहीये जो पुनर्वास की जो योजना है ओ कम्यूनिटी और समाज के साथ बैठके एस.ई.सी.एल. के अधिकारी एवं कर्मचारी को समझाना चाहीये अगर सहयोग की जरूरत होगी तो 10 साल से मैं भी काम कर रहा हूं आपके साथ सहयोग करूंगा दूसरी बात जिन लोगों का नौकरी का प्रावधान है उन लोगों को मैं अभी भी बोल रहा हूं की आप संबंधित विभाग के अधिकारियों का कैम्प लगाइये और एक एक ग्राम पंचायत के प्रभावित लोगों को सूचित करवाइये और उनकी फाइल तैयार करवाईये और उनको नौकरी के लिये जॉइनिंग लेटर दे दीजिये और आपका काम चालू करिये और तीसरी बुनियादी सवाल है सर कि सरकार में बैठे हुये लोगों को लगता है कि हमारा क्या होगा। तो सर दूसरा मेरा यह कहना है कि जब भी आपको पर्यावरण क्लीयरेंस मिलता है एस.ई.सी.एल. का पर्यावरण क्लीयरेंस मेरे पास है सर ओ लगभग 16 या 17

बिन्दुओं में मिलात है उसमें ऐ पानी का छिड़काव करेंगे वृक्षारोपण व्यापक पैमाने पर करेंगे जो खदान से पानी निकलेगा उसका ट्रीटमेंट प्लांट में डालेगें इसके बाद उस पानी को पेड़ों के सिंचाई में प्रयोग करेंगे अतिरिक्त जो पानी होगा माण्ड नदी में छोडेंगे पर पुछ लिजिये ट्रीटमेंट प्लांट लगा है क्या 10 साल खदान चलने के बाद भी पानी के ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं तो क्या अगली पंचवर्षी लगेगें की 2025, 2050 कब लगेगा क्योंकि जो माण्ड नदी के नीचे रहने वाले गांव जो लोग हैं जो उस पानी का निस्तार करते हैं सर हमने वहां भी हमने विजिट किया और जो इफेक्टेड पानी है उसकी वजह से लोगों के शरीर में खाज खुजली चक्कते जैसे बिमारियां होती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि देश का विकास हो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो हम सब उस विकास की प्रक्रिया में हम सहभागी बने परंतु विकास किसके लिये अधिकारी तो हमेशा यह सोचता है कि छः महीने 01 साल बाद मेरा ट्रांसफर हो जायेगा क्या होगा। हमने कुछ आंकडे निकाले है सर जब ये खदान का विस्तार होगा तो लगभग इस विस्तार के बाद प्रतिदिन सड़कों में चलने वाले ट्रको की संख्या 3500 रहेगी और कोयला और अलग–अलग स्थानीय खदानों में जायेगा। हमारे पास सड़क कितनी है सर एक सड़क है वो टू लाई न है और अगर 3000 ट्रक का वेट अगर उस रोड में पड़ गया तो क्या उस रोड में चलने वाली है उसकी उतनी गुणवत्ता है तो अगर गुणवत्ता नहीं है तो एस.ई.सी.एल. के कोयले को अगर खरसिया तक पहुंचाना है तो उसके लिये फोरलाईन सड़क तो चाहिये और फोरलाईन सड़क नहीं है तो खदान चालू करने से पहले आप का रोड फोरलाईन कर लिजिये और एन.जी.टी. का आदेश भी है मैं लाया हूं सर आज आप चाहे तो मैं दे दूंगा कि एन.जी.टी. ने आदेश किया है कि 01 फरवरी 2021 के बाद किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग सड़कों के माध्यम से नहीं होगी अगर मैं रोड में खड़ा हो जाउंगा तो बोल दो की नहीं निकल पाउंगा अब गाड़ी नहीं निकलने दूंगा साहब मेरे पास आयेंगे मैं एन.जी.टी. का आदेश दे दूंगा और बोलूगा की साहब ये जो आपका काम है मेरा काम नहीं है और अगर मैं इस काम को रोक रहा हूं कर रहा हूं यानी हम सरकार के समर्थन में यह काम कर रहे हैं तो हमको यह भी देखना पड़ेगा सर पहली बात तो हमको अपनी खदान का विस्तार करने से पहले हमारे रायगढ़ जिले के सड़कों का विस्तार करना पड़ेगा और जब तक सड़क का विस्तार नहीं होगा आयेगा दिन दुर्घटना होगी ई.आई.ए. के अध्ययन में जैसे कुछ लोगों ने बोला कहीं भी सर नहीं लिखा है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के जंगली जानवर इस क्षेत्र में पाये जाते हैं जसै की सदन मधु ने बताया कि लगभग 26 हाथियों का विगत 05 साल के अंतराल में मौत हुई है और लगभग 350 ऐसे लोग है जो हाथियों के वजह से प्रभावित लोग हैं। तो आप हाथी आप बता नहीं रहे हैं उनके अंदर और हाथी का जो जमावड़ा है सर ऐ यहां से मुश्किल लगभग 02 किलोमीटर दूर आगे आप चलिये मैं वो पॉईंट बाताता हूं जहां से हाथी उड़ीसा के बॉर्डर से किस नक्शे कदम से होके कोरबा तक जाते हैं हाथियों का जो आना जाना है वो इस एलिफेंट कॉरिडोर में 12 महीने चलते रहता है उसका कहीं प्रमाण नहीं है सर फिर एक आपने एक मजे की बात है सर जिन लोगों ने ई.आई.ए. बनाया सर उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा एक शब्द इसमें लिखा है कि वेस्ट लैण्ड 288.649 हेक्टेयर अब मैं यह पूछना चाहता हूं सर की आप दोनों से ये वेस्ट लैण्ड क्या है वेस्ट अगर गाय उसमें घास चरने जाती है तो वह वेस्ट नहीं हो सकती और फिर जिस जमीन को आप वेस्ट कह रहो उसमें सर 01 एकड़ में लगभग 30 से 40 नग महुआ के पेड़ है और जिसके

एक जमीन में वह महुआ का पेड़ है 01 पेड़ सर मिनिमम 10,000 रूपये का महुआ देता है इसके बाद लगभग 6,000 रूपये का डोरी देता है याने एक महुआ का पेड़ एक आदिवासी परिवार को 16000 रूपये देता है यह आय का साधन है और ये काई मरूस्थल तो है नहीं राजस्थान का साहब मैं तो ऐ बोलता हूं साहब जिसकों आप वेस्ट लैण्ड बोलते हैं उसमें वो उड़द की खेती करते हैं, झुनगा की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते है फिर तेन्दुपता उसमें निकलता हैं फिर महुआ उससे निकलता है फिर उसपे डोरी निकलती है तो वो एक फसली नहीं जबकि छः फसली जमीन है तो इसको सर आप वेस्ट लैण्ड से परिभाषित करते हैं। ये परिभाषा जो सरकार ने हमारे कान में सरकार के लोगों ने यह सिखा दिया परिभाषा को समय के अनुसार बोलना पड़ेगा। और सर इसके साथ–साथ मेरा यह कहना है किसी भी प्रकार का जो प्रभावित गांवों के लोग हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है एस.ई.सी.एल. कभी किसी परिवर का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाता लात खदान के पूर्व सरपंच यहां खड़े है सरपंच पति सर हमने ग्राम सभा में छः बार फोका है सरपंच के माध्यम से एस.ई.सी.एल. को पत्र भेजवाया है की इतने तारीख को इस स्थान पर ग्राम सभा है कृपया आप उस ग्राम सभा में उपस्थित होवें निवेदन किया सर पर गांवों के लोगों का पानी का सड़क का समस्या है स्कूल का समस्या है बिजली का समस्या है तो कोई भी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं होगा कयों कि सीधा सीधा पांचवी अनुसुची पेशा एक्ट कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है अगर ग्राम सभा सातों ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित कर दें कि ये कोयला खदान का संचालन तत्काल यहां बंद कर दिया और उसका पी.आई.एल. कोई सुप्रीम कोर्ट में अगर कर दिया तो तत्काल आपको खदान बंद करना पड़ जायेगा। तो फिर इस बात को स्वीकार क्येां नहीं किया जाता तो बात समर्थन एवं विरोध का नहीं है। बात विकास के साथ–साथ जो होने वाला विनाश है उसक विनाश की प्रक्रिया को कैसे कम किया जा सके बात इस बात का है और उस विकास के साथ–साथ जो विनाश की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कम करने में उसमें एस.ई.सी.एल. के अधिकारी, यहां के जो प्रभावित लोग है और जो जन प्रतिनिधि है इन तीनों की महत्वर्पूण भूमिका बनती है सर तो ये बात मुझे कहनी थी। जय हिन्द जय भारत जय छत्तीसगढ़।
।

159. भुषण राठिया, लात– हमको लात गांव से व्यवस्थापित होकर आया तो वहां सड़क, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा की का भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम उस क्षेत्र में सडक, पानी, हम खुद बनाये है। पुर्नवास में डिसपेंशरी बन गया लेकिन देखने वाले कोई नहीं है, पांनी टंकी बनाया गया लेकिन पानी नही है। नौकरी के लिये आवेदन किया तो मुझे अनफीट बताया गया। बच्चे के नाम से आवेदन किया तो परिवार में लिस्ट में नाम नहीं है बोला गया। हमारी सभी सिंचीत भूमि कुंआ सब ले लिया गया मुआवजा तक नहीं मिला। रिकार्ड में तहसील दार एस.ई.सी.एल. के लोगो द्वारा टिकरा बताकर मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरा मरने की स्थिति हो गई है । रोजगार के लिये जाता हूं तो बोलते है फाईल बन रहा बोलते है। क्या मै अपने बच्चे को एस.ई.सी.एल. स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूँ। पुर्नवास बससाहट बसाया गया है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल को झोपड़ीनुमा बनाया गया है जिसमें बिजली भी नहीं है। ना लाईट है, ना बिजली, ना पाली तो एस.ई.सी.एल. क्या सुविधा दे रही है। मैं दुखी तभी बोल रहा हूँ।

160. रामकुमार राठिया, छाल– मेरे पुर्वजों की भूमि खसरा 1028, 1029,1030 एवं 1031 में से एस.ई.सी.एल. में एक खसरा को लिया 1031 बाकी को छोड दिया । बहुत दिक्कत हो रहा है । मै निवेदन करता हूँ जमीन को अर्जन में ले और मुआवजा प्रदान करें।

161. मीरा खुंटे, जनपद सदस्य – ग्राम पंचायत खेदापाली का पुनः सर्वे किया जाये। पुरा जमीन को अर्जन किया जाये। नौकरी दिया जाये। 01 डिसमिल में नौकरी का प्रावधान हो। क्षेत्र में प्रदूषण दूर किया जाये। जंगलो में वृक्षारोपण किया जाये। पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था किया जाये। कोयले की गाडियों के लिये अलग रोड़ बनाया जाये।

162. पुष्पा चन्द्रा, बांधापाली – हमारे गांव के पुरा जमीन नहीं लिया गया है, बाद में खेती करने कहां से आयेगें। पुरा जमीन लिया जायें। हमें भी एस.ई.सी.एल. से नौकरी दिया जाये।

163. संतरी बाई, बांधीपाली – इंद्रावास का सर्वे नहीं हुआ है सर्वे किया जाये।

164. कमलाबाई, बांधापाली – हमारे घर का आधा सर्वे हुआ है आधा नहीं हुआ है।

165. देवकुमारी चन्द्रा, बांधापाली – हमारे घर का सर्वे पुरा करें।

166. ललिता वैष्णव, बांधापाली – हमारे घर का सर्वे करें।

167. कांदाबाई, बांधापाली – हमारे घर का सर्वे करें। नौकरी दें।

168. समारीन बाई, इन्द्रवास – नौकरी दिया जाये, घर नहीं ।

169. राजकुमारी, बांधापाली – घर कासर्वे करें, नौकरी दें।

170. समारीन बाई, बांधापाली– घर का सर्वे हो, नौकरी दे, विरोध है।

171. अंबिका, बांधापाली – सर्वे करें।

172. मालती बाई, बांधापाली – सर्वे करें।

173. पुष्पलता बैरागी, बांधापाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

174. वेदबाई राजपुत –

175. दामोदर सिंह ठाकुर – 70 प्रतिशत मुआवजा दे चुके है तो जन सुनवाई क्यों। घर बनाये की नं बनाये 10 साल हो गया । घर बना लिये तो सर्वे करेगें । क्यो हमारे घर में पैसा नहीं लगा है। व्ही.आई.पी. है आप लोग जब आते है तो सड़क में पानी छिड़काव किया जाता है और हम कुत्ते है। अंग्रेज यही है कही और नहीं। बड़े जमीदारों को करोड़ रू. दिला देंगें। और हमको घर से बहिस्कार किया जा रहा है। उनको नौकरी दिया जा रहा है और हमको मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। बड़े आदमी का पुछ पुछारी है और हमारा क्या हमारा भी तो जमीन जा रहा है। ये अंग्रेज है सोच समझकर फैसला करे। व्ही. आई.पी. का ही जिंदगी है हम कुत्ता जिंदगी जी रहे है जियेंगें। 415 भाई लोगो को नौकरी दे तभी खदान खुलेगी।

176. रोहिणी चन्द्रा, जनपद सदस्य, नवापारा – हमारी भुमि को गोदावरी द्वारा अधिग्रहित किया गया और नहीं नौकरी दिया। और अब से एस.ई.सी.एल. द्वारा फिस से अधिग्रहित किया जा रहा है। नौकरी मिलेगा मुआवजा मिलेगा तो समर्थन करें। 1987–88 में जलाशय योजना के लिये किसानों से 15 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया गया । लेकिन 15 एकड़ जमीन के एवज में नौकरी दिया जाये। ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस

की सुविधा प्रदान करें। सी.एस.आर. मद से स्टेडियम, मंगल भवन, का निर्माण किया जाये। सडत्रक, बिजली पानी, स्थास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए।

177. जगत राठिया, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

178. चन्द्रमणी सिदार, चन्द्रशेखरपुर – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

179. गनपत चौहान, भुपदेवपुर – मै बरोद कॉलरी में कार्यरत् हूं। डोमनारा एवं बरौद कालरी सिर्फ दो खदान थी उस समय में। मैं 40 कि.मी. से चल के आया हूं। हम बहुत ही जल्द ऐसे लोक में जाने वाले है जिसकी कल्पना हमारे मां बाप नहीं कर सकते। इतनी प्रदूषण है जल प्रदूषण वायु प्रदूषण की यहां रहना मुश्किल है। एस.ई.सी.एल. जो वादा करता है निभा नहीं पा रहा है। एस.ई.सी.एल. द्वारा जिनकी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसे नौकरी का प्रावधान हो मुआवाजा भी दे और पुर्नवास में मकाने मॉडल टाउन की तरह होनी चाहिए। जहां कांजी हाउस हो, यहां अस्पताल, स्कूल, पानी, बिजली, लाईट, खेल मैदान हो पर प्रदूषण बिल्कुल हो। गांव की समस्याओं को एस.ई.सी.एल. के पास जाना चाहिए और अगर नहीं सुनते है तो पुरे गांव के लोग कलेक्टर के पास आवेदन लेके जाना चाहिए। अब चार चिरौंजी महुआ फल सब प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहा है। मैं आग्रह करता हूं पर्यावरण प्रदूषित मत हो। रायगढ़ को भी एक दिन विश्व में जाना जायेगा जैसे कोरबा को जाना जाता है। एस.ई.सी.एल. 02 एकड़ में एक नौकरी देता है तथा मेडिकल की अच्छी सुविधा देती है। पंच सरपंच लोग अगर चाहे तो दबाव में डाल सकते है पानी छिड़काव करो प्रदूषण मत करों। लेकिन क्या अडानी से अम्बानी से नहीं कर सकते।

180. अनिल कुमार, बांधापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

181. – एस.ई.सी.एल. विस्तारीकरण के लिये आज दिनांक 12.03.2021 को जन सुनवाई रखी गई है। खदान के खुलने से क्या फायदा क्या नुकसान है बहुत लोगो ने बताया। ये जन सुनवाई प्यावरण क्लीरियेंस के लिये है। जिन्होने समर्थन/विरोध किया है। जो यहां नौकरी करेगें वो ऑक्सीजन के बीना जी पायेगें। यदि पेड कटते है तो ऑक्सीजन लेबल भी कम होगा। ई.आई.ए. पुरी अंग्रेजी में। क्या एस.ई.सी.एल. ने जंगल को काटने वाले है उसमें 1000 पेड़ कटेंगें तो उसके बदले ऑक्सीजन जोन की व्यवस्था की गई है। जितना रकबा जमीन जंगल का लिया गया है क्या आने वाले समय के लिये उतने भूमि का अधिग्रहण किया है। लोगो की जिनकी जमीन अधिग्रहण किया उसके बदले मुआवजा, नौकरी दे रही है तो क्या जंगल के बदले जंगल देगी। फार्म नं. 02 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत् एस.ई.सी.एल. विस्तारीकरण से पहले जीव –जन्तु के रहने के लिये कही अन्य जगह की अनुमती ली है। हमारे क्षेत्र में माण्ड नदी जल का सबसे मुख्य साधान है। एस.ई.सी.एल. द्वारा इससे जल का दोहन करने की अनुमति चाही गई है। जब जब हम कोयले का एक जगह से दुसरे जगह ढोयेगें उसे धुल डस्ट उड़ेगें तो इसकी क्या व्यवस्था की गई है एस. ई.सी.एल. द्वारा। ग्राम बांधापाली एवं खेदापाली के सडक किनारे रहने वाले के स्वास्थ्य चेकअप करा कर देखिये अस्थमा वाले ही मिलेगें। आज 400 गाडिया यहां से निकल रही है कल 1500 गाडियां आज से ढाई गुना ज्यादा तो प्रदूषण भी आज से ढाई गुना ज्यादा होगा। लात खदान के खलने की बात आज हो रही है क्योकि उसकी कुछ कमियां आज भी बाकी है उसे पुरा करें। आने वाले समय में जब आप ब्लास्टिक करेंगें उसका दुष्परिणाम बच्चों को पड़ेगा, तो उसकी जवाबदारी क्या एस.ई.सी.एल. प्रबंधन लेगा। ग्राम खेदापाली

व बांधापाली में 70 प्रतिशत् भूमि – अधिग्रहण किया गया है 30 प्रतिशत् को कब लेगी। जो खदान लात में संचालित थे कब उसका भराव कर कब उन्हे आदिवासी भाईयो को सोंपा जायेगा। जंगल हमारा ऑक्सीजन का मुख्य साधन है अगर जंगल कटेगी तो उतनी मात्रा में ऑक्सीज नहीं मिल पायेगा। यहां कोई ऑक्सीजन जोन बनाया जाय।

182. लीलाराम भारद्वाज, खेदापाली – आज 415 नौकरी एस.ई.सी.एल. द्वारा दिया जा रहा है। सन् 1970 – 75–80 के आस–पास जो जमीन दिया गया था। हमारे 4 ग्राम पंचायत में 75 नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल पायेगा। 75 भूमिहीन आदमी को मिलना है वो सरकार के फण्ड में जायेगा, उनको क्या मिलेगा। 75 बेरोजगार को नौकरी दिया जाये।

183. राजकुमार चन्द्र, – आज का यह जन सुनवाई 3.5 से 7.5 एमटी.पी.ए. के लिये हो रही है। जब कभी उद्योग खुलता है तो उस क्षेत्र में विकास भी होता है। एस.ई.सी.एल. प्रबंधन को सोचना है कि जमीन ले लेते है उनको जल्द मुआवजा दे के नौकरी दे दिया जाये। इस क्षेत्र में जंगल की कटाई होती है तो किस रेसियो में पेड लगाती है। एस.ई.सी.एल. ने कहां 12 लाख पेड़ क्या जगदलपुर/बस्तर में लगाये। इस क्षेत्र में पेड़ लगाये इस क्षेत्र का विकास करें। सब अपनी चेतना के अनुसार बात रख रहे है हम भी रख रहे है । मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

184. सागर कुर्रे, खेदापाली – सबसे ज्यादा प्रभावित गांव खेदापाली है। यह ऐरिया बहुत प्रदूषित है। खेदापाली की 70 प्रतिशत जमीन को लिया गया है और 30 प्रतिशत जमीन छोड़ दिया गया है। रिहायसी ईलाके में 15 प्रतिशत् लिया गया है ओर 85 प्रतिशत् छोड़ दिया गया है। यहां 800 मी. दूर ब्लाटिंग हो रही है कल क्या होगा। यहां माईन्स में बहुत पालुशन है सांसस भी ले तो बॉडी में डस्ट चला जायेगा। यहां अस्थमा की बहुत मरीज है। खेदापाली का सम्पूर्ण जमीन अर्जन किया जाये।

185. रामलखन, बांधोपाली – घर को एक ही बार में सर्वे कर ओके कर दिया। हम गरीब है लुट के खा गये। आवास योजना में 05 लाख लगाकर घर बनवाया हु उसकापेसा कौन देखा। मै समर्थन में नही हूँ।

186. उदयराम, लात – जन सूनवाई के बाद ही भू–अर्जन की कार्यवाही किया जाना था, जो कि गलत है। आपके द्वारा दी गई ई.आई.ए. रिपोर्ट में 07 गांव का नाम है जिसमें 675 विस्थापित परिवार है। ग्राम लात पुर्नवास की प्रक्रिया आज पर्यन्त तक पुरी नहीं किया गया है। ग्राम लात के 423 परिवारों को आर्दश पुर्नवास निति के तहत् नौकरी दिया जायेगा। जमीन के एवज् मे 50–50 हजार रू दिया गया है जो कि गलत है। लात ग्राम का नाम गंगाधरलात रख दिया गया है। हम इस प्यावरणीय जन सुनवाई का हम विरोध करते है।

187. आनंदराम, खेदापाली– सर्वे किये है, लेकिन आफिस में बैठ कर सर्वे करते है कमरा को बाउण्ड्री बता रहे है। हम पांच भाई है दो नौकरी है तीन क्या करेंगें।

188. चन्द्रीका प्रसाद , खेदापाली –खेतीबाड़ी कोयला से पुरा चौपट हो जा है। पैसा कौड़ी नहीं मिले तो कल हत्या के लिये तेयार हो जायेगें। एस.ई.सी.एल. नहीं था तो अच्छे से कमा खा रहे थे। अब फसल तो हो नहीं रहा और नौकरी सब को दिया जाये नही तो भुखे मरेंगें। 18 साल जिनको हुआ है उन्ही को पुर्नवास दिया जायेगा बोला। पहले वो 14 साल के थे अब 18–20 हो गये अब दो उनको पुर्नवास योजना।

189. सेवकराम पटेल, खेदापाली – हमे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समर्थन करे की विरोध करें। वास्तव में देखा जाये तो हमारे क्षेत्र के लिये बहुत बड़ी समस्या है। इनके द्वारा कहा गया था कि आप जमीन दो 03 माह में नौकरी दिया जायेगा। सब इनके झांसे में आ गये अब बहुत कठनाई हो रही है। कुछ व्यक्ति मजबूरी में दिये है। ग्राम खेदापाली पंचायत बाउण्ड्री में लगा हुआ है और रेल लाईन भी आ रही है टापु बन जायेगा। खेदापाली पंचायत की समस्त भूमि को अर्जन किया जाये। वर्तमान में लात खुली खदान से हो रही ब्लास्टींग से गांव के घरों में दरार पड़ रहा है। 415 लोगो को रोजगार देने का पात्रता रखी है वो अभी तक नहीं हुआ है। हम गरीब लोगो को ठगकर अमीन अधिग्रहण किया गया है। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया था। तब कहा गया कि फिर से सर्वे किया जायेगा। खेदापाली की सम्पूर्ण भूमि का अर्जन कर नौकरी दिया जाये। तभी हम समर्थन देते है।

190. प्रहल्लाद सिंह, खेदापाली – आज की लोक सुनवाई का घोर विरोध करता हूँ। ग्राम खेदापाली से लगा हुआ ग्राम लात में जब ब्लास्टिंग की जाती है तो कम्पनन से गांव के घर दहल जाते है। हम दहशत में जी रहे है। 20–25 साल पहले शंतप्रिय जगह था ये आये प्रदूषण भरा है इसका कारण एसस.ई.सी.एल. है। उद्योग के आने से विकास होता है क्या विकास हुआ प्रभावित क्षेत्र प्रभावित है जल स्तर नीचे चला गया है, पीने का पानी नहीं है, जंगल कट रहे है, घर से बे–घर हो रहे है। एस.ई.सी.एल. हमको खुली चुनौती दे रहा है सड़क में आकर खुली आन्दोलन करनें। लात खुली खदान जब से खुली है तब से हमको वहां रहते नही बन रहा ना ही छोड़ते बन रहा है। जन सुनवाई सिर्फ दिखावा है, सेटिंग तो हो गया होगा। खदान आना है तो आयेगा। मारना है तो तरीका से मारिये अन्यथा छोड़ दिजीए। आज से 20–25 हो गया देखते आ रहे है यही होता आ रहा है। ग्राम पंचायत खेदापाली का एक भी जमीन छुटता है तो बहुत विरोध प्रदर्शन करेंगें। अगर ग्रामवासियों को सुखी देखना चाहते है तो सभी जमीन को अधिग्रहण किया जाये।

191. रामसिंह राठिया, खेदापाली– वर्तमान में लात खदान चल रही है जिससे जल स्तर बहुत कम हो गई है। प्रदूषण के कारण आज जल छिड़काव किया गया क्योकि आप लोग आये है ऐसे समय में बोलने पर बोला जाता है कि टेंकर खदान के लिये है सड़क के लिये नहीं। सम्पूर्ण जमीन को अर्जन करे और नौकरी प्रदान करें।

192. रामेश्वर सिंह राजपुत – नौकरी की व्यवस्था करें। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

193. भारती पटेल – मै लिखित में आवेदन दे रहा हूँ इसको जमा करें।

194. ताम्रध्वज नायक, नवापारा – वर्ष 2010 में गोदावरी कंपनी आई थी जिसने सब कुछ ले लिया और कहा गया पता नहीं। हमारा गांव आदिवासी इलाका है और एस.ई.सी.एल छल पूर्वक जमीन को ले लिया। हमारे जमीन का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। नौकरी दिया जावें।

195. जनक राम – यह कंपनी सरकारी कंपनी है जहा विस्तार कर रही है वहा विकास होता रहा है सभी चीजो का ध्यान रखा जा रहा है। पर्यावरण का ध्यान में रखे और विस्तार करें।

196. रामकुमार – हमारी जमीन अधीग्रहण किया है जिसे हमे 1 नौकरी दिया जा रहा है हमें दो नौकरी दिया जाया।

197. रायसिंह राठिया, धरमजयगढ़ – रेल कारिडोर जो बना है उसमे उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को भी दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। 5 लाख देने का वादा किया गया था वो कहा गया पता नहीं उसमें आर.आई., पटवारी का भी साईन था। शासन इसका ध्यान दे। किसानों को मुर्ख जैसा बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि कलेक्टर से निवेदन है कि निराकरण किया जावें।

198. सौकी लाल, चन्द्रशेखरपुर – मैं एस.ईसी.एल. प्रभावित किसान हूँ। कई प्रकार का विरोध आया है। हम विकास के विरोध में नहीं है। लेकिन विकास होना चाहिए। धुल, डस्ट के विषय में कहा गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोगो ने लगभग 885 एकड़ भूमि एस.ई.सी.एल. को दे रहे है जिसका लाभ नहीं मिल रहा है। जंगल से जो चार, महुआ डोरी से जो लोग रोजगार से जुड़े है। जिसं कंपनी को अधिग्रहण कर दिया जाता है तो पेशा कानुन लागू होना चाहिए। विसंगती नहीं होना चाहिए। शासन को यह बात पहुचाये जिससे विसंगती नहीं आये। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। क्यांकि अभी 455 लोगो को रोजगार मिलना है। जो पौधो में लगाते है उसमें फलदार वृक्ष लगवाये जिससे रोजगार मिल सके। हम लोग जमीन दे रहे है उसके एसज में रोजगार मिलना चाहिए।

199. जिलाबाई राठिया, चन्द्रशेखरपुर, – सभी का मैं नमस्कार करती हूँ। कंपनी जो वादा करती है उसको भुल जाते है। लाईट लगाने के लिये बोले थे अभी तक नहीं लगा है। हमारे यहा दूर्घटना बढ़ते जा रहा है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

200. बृजभुषण मालाकार – सभी समर्थन करते है कहते है कहते गये ।हम खदान में जाते है तो हमे आश्वासन दिया जाता है। लड़को को नौकरी दिया जावे। प्राइवेट जो नौकरी है उसे यहां के युवाओं को दे दिया जाये। शिक्षित बेरोजगारों के लिये नई योजना के तहत् कार्य करें। उचित मुआवजा, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सड़क विकास करती है तो समर्थन है।

201. पुष्पा राठिया, चन्द्रशेखरपुर – जिसका कम जमीन है उसे भी नौकरी दे।

202. अनिता गर्ग, – एस.ई.सी.एल. द्वारा ग्राम खेदापाली में मेरा जमीन को अधिग्रहण किया गया है एवं पट्टा को कलेक्टर महो. द्वारा निस्त किया गया है।

203. राजबीर , खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

204. महेन्द्र कुमार, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

205. फुलवारा बंजारे– ग्राम खेदापाली एवं बांधापाली जमीन एवं मकान का अधिग्रहण किया गया है जिसमें मुआवजा नियमानुसार से दे। एस.ई.सी.एल. में अपना समस्या बताने से मकान मुआवजा एक लाख बनाया गया है और किसी के मकान का मुआ दो लाख बनाया गया है, जिसे एक मुस्त के रू॰ में दिया जाये। बड़े आदमियों का मुआवजा ज्यादा बनाा गया है गरीब परिवार के सदस्यो का मकान का मुआवजा कम है न तो वह जमीन ले पा रहा है न तो घर बना पा रहा है। पुर्नवास में जो जाना नहीं चाह रहा उसे एक मुस्त दे दिया जाये जो जाना चाहता है उसे पुर्नवास दिया जाये । नौकरी प्रबंधन द्वारा दिया जाये। ग्राम खेदापाली में बहुत परिशानी में है ग्राम लात से 200 मीटर में खेदापाली है जिसमें ब्लास्टिंग होने से दरार हो रहा है

बरसात में पानी छुहता है। सामुदायिक भवन, स्कूल की समस्या को जगह देखकर बना दिया जाये ताकी बच्चे का भविष्य की बात है। एस.इ.सी.एल. से 07 ग्राम प्रभावित है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

206. ननकी राम साहू, कोयला संघ – जहां औद्योगिकरण होता है उस क्षेत्र का विकास होता है। मै 1974 से निवास रत् हूं। उद्योग के खुलने से क्षेत्र का विकास हुआ है। हम सभी को भौतिक सुधार चाहिए। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। इस क्षेत्र मे समय समय में मॉनिटरिंग किया जाये। रोजगार मिले उसका सम्मान करें। निर्वहन करें।

207. मंहती राठिया, जिला सदस्य – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

208. हितेश कुमार – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। जब खदान खुलेगा तो विकास होगा रोजगार मिलेगा। पहले यहां एक राशन दुकान था एक बस चलता था आज यहां हमें जरूरत की सभी सामान मिल रहा है। जिसकी भूमि गई उसे मुआवजा ओर रोजगार मिले।

209. प्रमोद सिंह, बाधांपाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। सभी समस्यओं को लेकर लोग आये है उसे निराकरण करें। सरकारी योजनाओं को लागू करें।

210. छत्रपाल सिह सिदार – मेरा 3 एकड़ जमीन गया है हम दो भाई है नोकरी चाहिए।

211. म्नलाल, बांधापाली – मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है, पुर्नवास नही मिला है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

212. रमेश अग्रवाल, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

213. चन्द्रशेखर सिंह – मेरा निजी 2.565 हे. है जिसमें 3 एकड़ अधिग्रहित हुआ है जिसमें एक 01 नौकरी दे रहे है हम पांच भाई है। कैसे करेंगें। ये लोग अपना नियम बताते है। मै धान बेचने से वंछित रहा है। 0.2460 रकबा है । त्रुटि सुधार के लिये आवेदन किया । शासन के कान में जु तक नहीं चला। 23 जनवरी को वर्तमान अध्यक्ष विष्णु देव के द्वारा दिनांक 24 को सुधार कर प्रेषित किया गया है। मैं 9 कि. धान बेच पाया और बाकी को मरवाडी के पास बेचा। मै समर्थन नहीं करना चाहता । पैसा लेकर काम करती है शासन क्या उनको वेतन नहीं मिलता है क्या।

214. प्रहल्लाद पटेल, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। नौकरी को विलम्ब तो हो रहा है। जनसुनवाई के 15 दिन बाद नौकरी देंगें बोले है।

215. पुष्तमराम, एडूं– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

216. धनश्याम सिंह, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

217. मेहनलाल, एडू– एस.ई.सी.एल. के आने से बहुत विकास हुआ है। विस्तार से भी बहुत विकास होगा। कुछ समस्या है उसका निराकरण करें। जमीन जाता है नौकरी में बहुत विलम्ब होता है। तहसीलदार के पास जाता है तो कमी बताकर वापस कर दिया जाता है। प्रबंधन कागज का सर्वे करे और दस्तावेज जमा करें। नौकरी मिले। योग्यता के आनुसार दिया जाये। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

218. सुरज धोबी, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

219. कन्हैयालाल, बांधापाली – एस.ई.सी.एल. के निती से सहमत नहीं हूँ। सर्वे किया गया और बोला गया अभी सिर्फ नाप रहे है और मुआवजा बना के बता दिया गया है। जमीन हमारा और नौकरी का फैसला अपना लेता है। अगर सहमति लेना है तो मांग अनुसार नौकरी दे। विरोध करता हूँ।
220. रामसिंह, बांधापाली – सर्वे करने आये बोले और मुआवजा बना के दे दिया गया है और बोले बड़े साहब आयेगे तो सर्वे फिर से होगा। विरोध करता हूँ। निराकरण नहीं होगा तब तक विरोध है।
221. प्रकाश सिंह, बांधापाली – – एस.ई.सी.एल. हाईवे रोड है उसमें बांधापाली चौक में ट्रेलर का जाम हो जाता है महिलायें आती है।
222. महाबीर पटेल, एडू– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
223. राजेन्द्र कुमार, नवापारा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। जब उद्योग आता है तो विकास में थोड़ा देर तो लगता है। सी.एस.आर. मद से 80 प्रतिशत् राशि प्रभावित क्षेत्र में करें।
224. परमानंद, लाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
225. बोधराम, बांधापाली –
226. लालु ठाकुर– एस.ई.सी.एल. के आने से कुछ विकास भी किया है। प्रदूषण के लिये जल छिड़काव भी होता रहता है। सभी को रोजगार दिया जाये । सी.एस.आर. मद से छाल क्षेत्र काम मिले। जिन मकानों का सर्वे नहीं किया गया है उसे सर्वे किया जाये। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
227. देवेन्द्र सिंह – एस.ई.सी.एल. में 01 डिशमिल जमीन गया है उसे नौकरी मिले।
228. योगेश राठोर,– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
229. भगवानदास– मेरा जमीन गया है मुझे नौकरी दिया जाये।
230. रिपुसुदन पाण्डे, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। खुली खदान खुलने से नौकरी मिलेगा परिवार मजबूत होगा। आज से 20 साल पहले यह रोड़ बहुत खराब थी आज रोड बन गया है।
231. ऋतुराज सिंह – 25–30 वर्ष से छाल क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. की खदानें संचालित है। 06 साल से लाल में खदान संचालित है। इस क्षेत्र में आज भी विकास नहीं हो पाया गया है। जमीन गया है जिसमें प्रभावित किसानों को नौकरी दिया जाये। जिनकी फाईल कम्पलीट नहीं है, उन्हे कैम्प के माध्यम से कराया जायेगा। किसी को परेशानी नहीं हो। जमीन का पुनः सर्वे करके उनको मुआवजा दिया जाये और पुर्नवास योजना का लाभ दिया जाये। रेल्वे लाईन खेदापाली में आ रहा है और लात में ब्लास्टिंग से खेदापाली बहुत प्रभावित है। सी.एस.आर. फण्ड का नियंत्रण अब कलेक्टर के पास है उसे अब प्रभावित गाम में खर्च किया जाये। डी.एम.एफ. की भी राशि का कुछ भाग यहां खर्च किया जाये। धुल डस्ट है उसकी मार हम झेल रहे है। भारी वाहनों के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। शासन के तरफ से 25 हजार के मुआवजा के लिये भी हमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मृतक के परिवारों के लिये कुछ सहायता किया जाये । अयंत्रित गंति से जो गाड़ी चलती है उसे नियंत्रण करें। बहुत माईस घरघोड़ा में है घरमजयगढ़ में यहां एक खेल का मैदान बना दे । स्वास्थ्य के लिये एक अस्पताल खोला जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस की

सुविधा दी जानी चाहिए। बीच–बीच में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से चेकअप कराया जायें। यहां मंगल भवन की व्यवस्था की जाये। डी.ए.व्ही स्कूल में एडमिशन के लिये सब एरिया मैनेजर से हमेशा मिलना पड़ता उसमें विस्तार किया जाये। एस.ई.सी.एल. और क्षेत्रीय लोगो की एक कमेटी बनाया जाये।

232. मनकुवंर सिदार, बांधापाली – मोर कमोईया कोई नहीं है।

233. शरद स्वर्णकार, बांधापाली – कोल इडिया विकास की ओर कार्य करने वाली संस्था है। विकास के जो भी काम होते है साथ साथ परेशानियां भी आती है। प्रदूषण पर पड़ रहे प्रभाव हेतु क्षेत्रीय प्यावरण अधिकारी व एस.ई.सी.एल. विचार करें। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। गांव का जब सर्वे कराया तब प्रारम्भीक सर्वे है बाद में स्थायी सर्वे करायेंगे लेकिन वही स्थायी सर्वे था। कुछ लोग सर्वे नहीं करा पाये। अब एस.ई.सी.एल. सर्वे नहीं कर रहा है हम लिखीत आवेदन दे चुके है। प्रधान मंत्री आवास में जो उसका अधिकार हे उसे मिल गया । 415 रोजगार की बात हुई है जिसमें इस जन सुनवाई के प्श्चात् तुरन्त प्रोसेस करेगें। नौकरी की प्रक्रिया तुरन्त किया जाकर नौकरी प्रदान किया जाये।

234. बसंतराम, छाल – इस क्षेत्र का पुनः सर्वे कराकर मुआवजा पदान करें। मुझे काम मिलेगा तो मेरा घर चलेगा। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

235. शैलेन्द्र खटेल, खेदापाली – हम बहुत खुदकिस्म है जहां एस.ई.सी.एल. आया है। इसमें सिर्फ 415 लोगो को रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि 2500–3000 लोगो को मिलेगा। कोई दुकान खेलेगा, कोई होटल खोलेगा। यहां कोयला उत्पादन होगा तो बिजली उत्पन्न होगा। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

236. दिनदयाल, – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

237. निरंजनदास महंत, – 1990 की दशक में क्षेत्र केसा था आ क्या है। पहले कुछ नहीं था आल अंग्रेजी स्कूल विकास हो रहा है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

238. योगेन्द्र कुमार पटेल, बांधापाली– मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

239. प्रहल्लाद – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

240. रामकुष्ण पाठक , – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। एस.ई.सी.एल. विस्तारीकरण कर रहा है। क्षेत्र के विकास में गौर करें। प्रभावित लोगो की दशा दिशा सब बदल जाये। सकारात्मक रवैया अपनाये।

241. गनपत राय, खेदापाली – चारो तरफ से खेदापाली संकट में है। सम्पूर्ण भूमि लें।

242. अवधेश सिंह, खेदापाली – विरोध करता हूँ। 2014 में बोला गया सर्वे हो रहा है और होगा लेकिन नाम ही चढ़ा नहीं है। मुआवजा नहीं मिला है मेरे भाई के नाम से है।

243. किशोर, खेदापाली – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

244. रामकुमार – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

245. नीरज कुमार – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

246. चुन्नीलाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

247. विमल सिंह – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

248. हरेन्द्र कुमार – अधिग्रहित भूमि के एवज में मुझे नौकरी प्रदान किया गया है। मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
249. आशीष पटेल, नवापारा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
250. गुलाबचन्द्र, नवापारा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
251. प्रेम पानीपुरी, छाल – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
252. नवरत्न – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
253. सुरज कुमार – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
254. मंगलराम, नवापारा – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
255. गोपालराव – मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 6:00 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री दिलीप बोबडे के द्वारा बताया गया कि – सर ये जो मुद्दे उठाये गये है ये दो टाईप के हैं एक तो इन्वायरमेंट को रिलेटेड ई.एम.पी. एवं इसकों लेके और जो दूसरे मुद्दे थे लोगों के रहन इम्प्लॉयमेंट्स के तो शुरूआत में इंवायरमेंट के मुद्दों को बताना चाहूंगा सर काफी वक्ताओं ने हमें यह बताया था कि ये जो ई.आई.ए है 6.0 मिलियन टन और अब आप 7.5 मिलियन टन का यहां अप्रुव्ड किये हैं इनका यह भी कहना था कि ई.आई.ए. में केवल 6 लिखा है अब 7 क्यों तो सर मैं यह ध्यान में लाना चाहूंगा की जो ई.आई.ए. रिपोर्ट अप्रुव्ड हुआ वह नॉर्मल केपेसिटी 6.0 मिलियन के लिये था वो टिक केपेसिटी 7.5 के लिये था प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वह ऑलरेडी लिखा हुआ है सर ये जो ई.आई.ए. और ई.एम.पी. बनी है यह टिक केपेसिटी 7.5 के लिये बनी है से एस्पेक्ट यूआरई बनी है। इसमें किसी भी प्रकार कोई वेरियेसन नहीं है हमको यह भी बोला गया सर ये सीएमपीडीएल का एग्रेटीसियन केन्सिल हो गया है तो इसमें मैं यह बताना चाहूंगा सर सीएमपीडीएल पीसीएल लेबोरेट एग्रेटेड कंसल्टेंट है और इसकी वैलिडीटी अभी 22 अगस्त 2021 तक है जिस समय ये ई.आई.ए. बना था उस समय इसकी वैलिडिटी 01 से 20 थी बाद में एक्सटेंड हो गई इसके बाद उन्होने एक बात कलकत्ता एडवर्ड के लिये बोली थी कि इसका कोड पासवर्ड क्या है ये ई.आई.ए. कैसा बन सकता है तो सर ये ऐडवर्ड जो कलकत्ता है केवल ट्रीसनल स्टोरी में इन्वॉल्व्ड हो हुआ था ट्रीसनल स्टोरी के जनरेसन के स्टोरी के लिये था ई. आई.ए. के लिये था हमें सर यह भी बोला गया था सर कि ये जो मेट्रोलॉजिकल डाटा है साईड ईटीपी के लिये क्यों नहीं लिया कटघोरा के लिये क्यों दिया गया तो सर मेट्रोलॉजिकल डाटा साईड एसिफिक जो हामरे एस.ई.सी. एल की कॉलोनी है वहां हमारा एक पॉइंट है कटघोरा एक्व्यूली में रैनफाल मिजरमेंट के लिये था और बिलासपुर टेम्परेचर के डाटा कलेक्शन के लिये था उन्होने एक ये भी बोला था कि ई.आई.ए. में लिखा था कि आप ब्लास्टिंग

नहीं करोगे और एक पन्ने में लिखा है कि आप ब्लास्टिंग करेंगें सही बात है सर हमारे ओपन कास्ट में जब हम कोयला निकालेंगे वो सरफेस वाइंडर से निकालेगें और सरफेस वाइंडर में किसी भी प्रकार के ब्लास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती बट जब ओबी हम निकालेंगे तो ओबी के लिये ब्लास्टिंग रखी है उसके बारे में उसमें लिखा गया था एक और बोला गया था सर कि सारसमल विलेज इसका नाम है और सारसमल विलेज यहां नहीं है तो सारसरमल छाल विलेज के नॉर्थन साईट में है इन्होने यह भी कहा था कि एन.जी.टी. के ऑर्डर के हिसाब से नो फर्दर कन्वर्जन ऑदर माईन स्टोन ओपन कास्ट तो एन.जी.टी. सर ओ तमनार और घरघोड़ा के लिये लखा था और जो हमारी ये माईंस है यह धरमजयगढ़ है ई.आई.ए. का एक यह भी बोला गया था कि इसकी कैरिंग केपेसिटी उतनी है की नहीं तो ई.आई.ए. ने जो प्रिपेयर किया है सर एस पर इश्युड यू आर और ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 का है उसके बेस पर है और यदि इसका जरूरत पड़ता है तो किसी भी एडिशनल स्टडी की कैरिंग केपेसिटी की तो उसको भी हम लोग कर देंगे यदि जरूरत है तो। हमको यह भी बोला गया था सर की ई.आई.ए. रिपोर्ट तीन साल से पुराने डाटा पर है सर ऐसा नहीं है एक्च्युली में हमारा डाटा 2018 से 2021 तक था उसके बाद हमने पर्यावरण सुनवाई के लिये एडिसनल डाटा लिया है दिसंबर 2020 का लिया है सर लोगों के काफी लैण्ड क्म्पनशेसन को लेके भी बहुत सारे क्वेशचन हैं मल्टीपल लोगों ने किये हैं जॉईंट में सिंगल में आनसर देना चाहूंगा लैण्ड कम्पनशेनसन है तो सर मैं आपकों आश्वस्त करना चाहूंगा की ऐ जो लैण्ड कम्पनशेसन हमने बनाया है ये नये एक्ट के हिसाब से ही बनाया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है और यदि सर इसमें किसी को लगता है की इसमें कमी है या इसके ऑनरशिप में कुछ भी डीस्ट्रीब्युट है तो इसके लिये ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं सर हम भी उनको हेल्प करेगें सर जितनी भी हो। लोगों का एक यह भी था सर की ऐरिगेटेड फैलियर नॉन ऐरिगेटेड का हमें पैसा देना तो सर जिनको लैण्ड को नॉन ऐरिगेटेड में पैसा मिल चुका था बट ओ लैण्ड ऐरिगेटेड है ये एथेन्टीकेशन स्टेट गवरन्मेट से जो हमें मिला ऐरिगेटेड का भी पैसा दिया है जहां तक इम्प्लॉईमेंट की बात कुछ वक्ताओं ने यहां बोले सर की यहां पर छत्तीसगढ़ पॉलिसी से इम्प्लॉईमेंट देना चाहीये था सर मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि 2008 में डिस्ट्रीक्ट लेबल की मिटींग हुई जिसमें ऐ डिसाईड करना था कि यहां इम्प्लॉईमेंट कैसे लेने है उसमें जितने भी लोग अटेण्ड किये थे काफी लोगं 400, 500 लोग अटेण्ड किये इन्होने सभी लोगों ने कोल इंडिया की डिस्सेंडिंग ऑर्डर पॉलिसी को ही सलेक्ट किया इसिलिये हमने उस पॉलिसी के तहत् ही लोगों को इम्प्लॉईमेंट दिया ऐ उनका कन्सेंट था यह पॉलिसी उनको ज्यादा बेनिफिसियरी लगी थी और अभी सर 2021 में सबने राईटिंग में समर्थन किया है हमको इस ई.आई.ए. की के तहत् ही चाहिसे एकॉर्डिंग ली हम दे रहे हैं ये बात जरूर है सर की डिस्सेंडिंग ऑर्डर में एक सर्टन टॉप है उस कटऑफ के नीचे में सर इम्प्लॉईमेंट नहीं मिलती तो सर मैं यह बाताता हूं की उस कटअफ के नीचे जो लोग थे उनको इम्प्लॉईमेंट के बदले अनुदान मिलता है जिसका रेट है सर 05 लाख रूपये पर हेक्टेयर और मिनिमम 50 थाउसंड मिलता है। दूसरी बात सर यहां की हमारी माईन की केपेसिटी बढ़ने के बाद यदि और भी इम्प्लॉईमेंट जनरेट होंगे सर तो हमेशा हमारा यह प्रिफरेंस रहेगा सर की ये इम्प्लॉईमेंट इनको ही मिले यहां तक बहुत सारे वक्ताओं ने यह भी कहा ग्राम सभा और पेशा के बारे में ये जो एक्रेडीसन था सीबीए एक्ट 1957 के तहत् था ये सर इसके बाद अपीलिय नियुक्ति बारे में आपको पेपर सब्मिट करना चाहूंगा इसके सपोर्ट में जहां तंक सर हमें न्याय एक्वेजिसन किया इस सीबीए एक्ट का एक प्रावधान मालूम किया सेक्शन 4 किया है सेक्शन 7 किया है

हमने शासन के तरफ से सेक्शन 8 हुआ और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल आफ गवनन्मेंट की गाईड लाईन रिगार्डिंग ऑफ न्यू एक्ट उसका भी हमने पालन किया और कुछ भी पॉइंट है सर।

कुछ कॉमन मुद्दे हैं सर जो लोगों ने अठाया था कि भूमि मुआवजा कम दिया गया हैं जैसे की सीबीए एक्ट के तहत् भूमि अधिग्रहरण किया गया है लैण्ड एक्ट के तहत् एप्लिकेबल होता हे सर उसमें एलौंगविथ उसके साथ–साथ छत्तीसगढ़ का एक नोटिफिकेशन है को लैण्ड एक्ट के तहत् जो मुआवजा देना है सेक्शन 30 के तहत् सारे टोटल राशि गुणक सब ब्याज मिलाकर के जितना भी राशि होगा ओ मिनीमम पड़त के लिये 06 लाख और नॉन एक्टिविटी के लिये 08 लाख औन ग्रीनलैण्ड के लिये 10 लाख से कम नहीं होना चाहीये सभी आधारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहां तक सिंचित असिंचित का राज्य शासन के द्वारा नियोजित टीम द्वारा सर्वेक्षण तथा राज्य शासन से सत्यापित होकर प्राप्त भूमि के मात्रा एवं प्रकार के आधार पर भूमि मुआवजा का निर्धारण किया गया है और उसी हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है।

हमारे एक ऑफिसर ने बोला था सर की यहां पर एक ऑक्सीजन जोन इसका क्या होगा यहां पर सर जो 150 हेक्टेयर फॉरेस्ट जा रहा है उसके लिये हम फॉरेस्ट कम्यूनेशन एक्ट 1980 के तहत् जो भी प्रावधान है उसके तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिये अपलाई किया है और ऐ 185 हेक्टेयर के बदले इससे जस्ट दोगूना 370.34 हेक्टेयर का लैण्ड कवर्धा मंडल में ईएफ 4 में हमें मिला है जिसमें हम उसका कम्प्लसरी उसका अवोल्स्टेशन कर रहे हैं।

कुछ नवापरा के लोगों ने एक बात उठाई थी की गोदावरी एनएमपी द्वारा पूर्व में अधिग्रहण कर लिया गया 05 साल 07 साल तक एनर्जी पॉवर प्लांट के लिये उन्होने ना संयंत्र लगाया न नौकरी दिया और एस.ई.सी. एल. के द्वारा जो अधिग्रहण हुआ तो न मुआवजा न नौकरी का फायदा मिल रहा है इस विषय पर हम यह कहना चाहेंगे की जब एस.ई.सी.एल. के द्वारा सीबीए एक्ट नोटिफिकेशन सेक्सन 9 के तहत् एक्वेजेसन हुआ उस रेट को राज्य शासन से सत्यापित होकर के प्राप्त जो दस्तावेज में दर्शीत है वही भू स्वामी के आधार पर मुआवजा और सारी चीजें आकलित है और जो भू स्वामी राज्य शान द्वारा निर्णय किया जायेगा और उस तारीख से मान्य कर दिया जायेगा उस आधार पर एस.ई.सी.एल. मुआवजे के विषय में कार्यवाही की जा सकेगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सी.जी. पॉलिसी के तहत् मुआवजा दिया जायेगा इस पर मैं यह कहना चाहूंगा सर दिनांक 22 मार्च 2018 को कलेक्टर महोदया के अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई जिसमें सभी जो प्रभावित गांवों के सैकडों की संख्या में लोग शामिल हुआ और उन्होने विभिन्न नितियों का प्लस माईनस का ध्यान और जो भी करके कोल इंडिया पुनर्वास निती का चयन किया और कोल इंडिया पुनर्वास निती के तहत् उन्होने अवरोही क्रम के अनुसार नौकरी का चयन किया जिसमें 09 एकड़ पर एक नौकारी दी जाती है जिसके तहत् 08 से 34 एकड़ निजी भूमि के एवज में 415 नौकरी स्वीकृत हुई जिसमें बड़े खोतेदार से छोटे खाते दार के क्रम में दिया जायेगा जिसमें की कटऑफ लाईन किसी गांव का 51 डिसमील में भी नौकरी मिल रही है किसी गांव का 49 डिसमील में भी कटऑफ आ रहा है तो उस हिसाब से 415 नौकारियां है इस पॉलिसी में जो है वेकेन्सी के आधार पर भी बहुत सारे समस्यायें हैं और उसमें कुशल और अर्द्धकुशल को जोडेंगे तो और कम नौकारी सृजित हो रही थी गांव वालों ने जो अपने स्वेच्छा से जो लिया उस हिसाब से राज्य शासन के द्वारा सत्यापित कराकर भू स्वामियों की सूची हमको जो प्रदान की गई थी कलेक्टर के द्वारा हमको दिया गया उस आधार पर अभी नौकरी की रिक्वायरमेंट की

जा रही है खेदापाली बांधापाल की संपूर्ण भूमि का भू अर्जन का आज कही जा रही है सर सीबी एक्ट के तहत् जो कोयला धारक क्षेत्र है उसमें उसी क्षेत्र का अधिग्रहण जिसकी आवश्यकतानुसार जो होती है उसी के नियमानुसार ही अधिग्रहण किया जाता है। एक छाल के व्यक्ति ने ये कहा था हमको सूचना नहीं दी गई मुआवजा समय सर इसमें यह कहना चाहूंगा की जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं सेक्शन 9 का जो लेकर के उसका अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से लेकर के तहसीलदार कार्यालय कलेक्टर महोदय के पास सभी ग्रामों के पंचायतों के पास इसका चस्पा भी किया गया था और सभी पंचायतों में प्रतिपियां भी दी गई थी उसके बाद न्यूज पेपर में पब्लिकेशन किया गया था और व्यक्तिगत रूप से भूमि स्वामियों को को पत्र के द्वारा सूचित किया गया था। कुछ लागो को ऐ था की 1970, 1975 इंदिरा गांधी के समसे से उनको जमीन प्राप्त हुई थी और समय में बाद में उनके नाम से भूमि स्वामी को प्राप्त होकर बी1, बी2 दस्तावेज बनकर पिछले 30–40 तक उनका उपयोग कर रहे थे जीवन निर्वाह कर रहे थे और 2017–18 में कलेक्टर महोदया द्वारा उनका भू स्वामित्व को निरस्त कर दिया गया और शासन के मद में दर्ज कर दिया गया जिसके कारण मुआवजा व बाकी लाभ से वो वंचित हो रहे हैं इस विषय पर हम भूमि स्वामीयों को जो काबिज हैं उनको निवेदन करेंगे और कलेक्टर महोदया को भी निवेदन करेंगे कि जो भू स्वामीयों को जो निर्धारण करेंगे उसी के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। मकान सर्वेक्षण के संबंध में मैं पहले भी बोल चुका हूं जैसे बिना मकान स्वामी के उपस्थिति के वहां के उस समय जो एस.डी.एम. महोदय द्वारा नियुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण हो जाने के पश्चात् जब देखा गया प्रधानमंत्री आवास का कुछ लोग और मांग कर रहे हैं गांवों में व्यक्तिगत रूप से बताया भी गया और पत्र द्वारा सरपंचों को मना भी किया गया कि इसका सर्वेक्षण एक बार हो चुका है सब लोग घर बानाने लगेंगें मुआवजा मांगने लगेंगे ऐ जो नियम के विरूद्ध है अधिग्रहण की श्रेणी में आ जायेगा लेकिन फिर भी इन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया गया उसी का सर्वेक्षण का मांग किया जा रहा है उनके द्वारा पंचायत प्रस्ताव के द्वारा लिखकर भी दिया गया की सर्वेक्षण कर लिया गया था चूंकि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया था इसलिये हमने मकान बना दिया इसका मुआवजा दिया जाये इसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को पत्र के द्वारा सूचित किया गया है।

कुछ वक्ताओं ने गोदावरी लिमिटेड के बारे में बताया था इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं सर की हमारे अर्जन से पहले गोदावरी लिमिटेड का एक आवास पास हुआ था और ये जमीन गोदावरी लिमिटेड ने ली है जब हमने अर्जित किया तो ऑनसीप गोदावरी के होने के कारण हम लोगों का कम्पनशेसन गोदावरी में बना इस पर सर एस पर जो भी लीगल है वही होगा।

पुनर्वास के संबंध में यह कहना है जो जो विस्थापित होने वाले परिवार है जो मकान है निवासरत है अधिग्रहण के समय और जो वयस्क है वहीं परिवार के श्रेणी में गिनती में आते हैं नियमानुसार है प्रथमतः द्वितीय ऐसे कुल 458 परिवार है 471 परिवार से हमने पूछा उनमें से 471 परिवारों ने पुनर्वास स्थल में प्लॉट के लिये एकमुश्त मुआवजा राशि जो तीन लाख रूपय की दी जाती है उसको चयन किया और ओ हमारे उसमें प्रक्रियाधीन उनको वह राशि दिया जायेगा। बाकि 187 लोगों को पुनर्वास स्थल का चयन कर उसमें प्लॉट बनाकर विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एक बुद्धेश्वर राठिया जी का एक व्यक्तिगत ओ था कि पुराने अधिग्रहण में 5.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था जिसमें एक नौकरी मिला है और नौकरी नहीं मिला है इसमें यह स्पष्ट करना चाहूंगा की पुराने अधिग्रहण के एवज में उनको एक नौकारी ऑलरेडी प्राप्त है और वर्तमान में उनको पांच नौकरी सृजित

है जिसमें परिवार के व्यक्ति को नामांकित किया जाता है पांच में से एक व्यक्ति को ऑलरेडी वो नामांकित कर चुके हैं बाकि चार को वो निर्णय लेकर के नामांकित कर देंगे प्रक्रियाधीन है उनको नौकरी दे दिया जायेगा।

सर एक चीज और बताना चाहूंगा पुराने अधिग्रहण के बारे में जो लोगों ने बोला इन्होने जो पहले खदान का काफी पेंडिग है तो सर मैं यह बताना चाहूंगा की पुराने अधिग्रहण में ऑलरेडी 289 लोगों को एक्जामिन दे चुके हैं तो 30–35 लोग बचे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको नोटिस भेज चुके हैं ओ एपलिकेशन दे देंगे तो उनका भी हम करेंगे ऐसे पुराने कोई भी नहीं बचे हैं।

और कुछ लोगों ने हमें कहा की योग्यता अनुसार हमें नौकरी दिया जाये इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण के एवज में नौकरी दी जाये इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण के एवज में जो नौकारी दी जानी है जिसमें की मिनिमल आयु 18 वर्ष है अधिकतम आयु की काई सीमा ही नहीं 50 साल का आदमी भी चाहे तो वह नौकारी कर सकता है। अनपढ़ आदमी भी नौकरी कर सकता है उसको कार्मिक केटेगरी वन के अंतर्गत लेते हैं अपनी योग्यतानुसार वह अपने प्रमोशन को इंजीनिय, अफसर से लेकर के क्लर्क तक बन सकते है जेसे की कुछ लोगों ने यहां उदाहरण रखा कोई क्लर्क है काई आज फोरमेन है तो उनके लिये भविष्य उज्ज्वल है ऐ बहुत बड़ी कंपनी है इनको बहुत मौका मिलेगा उनको।

जिस लड़के ने यह पॉइंट उठाया था वह इंजिनियर था मैं बताना चाहूंगा सर हमारी पॉलिसी में जो इंजीनियरिंग में बी टेक ओर डीप्लोमा है उनको दो साल के सर्विस के बाद वेंकेंसी जैसी क्रियेट होती है तो सबसे पहले उन्हे जूनियर इंजीनियर या फोरमेन के केस में दिया जाता है ऐ जो लड़का आया था सर ये बहुत जल्दी जिनको इंजिनियरिंग में डिप्लोमा है उनको मिल जाता है इनको मिलेगा सर।

एक लात पुनर्वास योजना भूषण सिंह राठिया जी का प्रश्न था उनका जमीन अधिग्रहण हुआ था उनको मुआवजा स्वीकृत था क्योंकि ओ शारीरीक रूप से अक्षम थे ओ फिर मेडिकली अनफिट हो गये उनके बदले में उन्होनें अपने पुत्र का जो है आवेदन किया और ओ नाबालिग होते हुये भी उनका नौकरी हमने स्वीकृत कर लिया है और जैसे ही उनका उम्र 18 साल पहुंचेगा तो हम जॉइनिंग की प्रक्रिया करके नौकरी की व्यवस्था की जायेगी। वाटर स्प्रिंकलिग हमारे यहां रेगुरेलरी किया जाता है और स्कूल का जो सवाल है यहां जो प्रभावित क्षेत्र के गांव के लोग है हर बच्चे को प्राथमिकता के आधार पर हम जो भी आता है प्रभावित व्यक्ति का एक पत्र जारी करते हैं इस आधार पर वह सीधे स्कूल में जाकर कर सकते है पहली बात दूसरी बात जो की बीपीएल लोगो ने और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और इतना ही मिलता है हम दो बच्चों के लिये कैसे करेंगे तो बीपीएल के लिये 25 परसेंट जो आरक्षण है ओ है मुक्त है बीपीएल को। स्कूल फीस के सबंध में हम मैनेजमेंट के साथ डिसकस करेंगे। लांत पुनर्वास योजना का स्थापना हुआ था सर उस समय नल जल योजना दिया गया था और तालाब से लेकर के ट्यूबवेल है वहां अभी इनके लिये ओवर टैंक इंटिलेटेड वाटर सप्लाई बनाकर जो व्यवस्था किया गया है अभी अभी वह कम्प्लीट हुआ है तो कुछ लोगों ने टैब को खोल दिया था जब चालू किया तो ओ ओवरफ्लो हो रहा था उसको हम जल्द ही सप्लाई चालू करा देंगे पुनर्वास के लोगों से बात भी किया हैं। और जो नौकरी ये बात सच है कि टेक्नीकली 2014 का नोटिफिकेशन के तहत् ये एक्वेजीसन किया गया अभी क्यों कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति के बिना हम उस भूमि का उपयोग हम नहीं कर सकते इसलिये वर्तमान में भी सारे भूमि स्वामी उनमें काबिज है और उनमें खेती कर रहे हैं और मुआवजा भी प्राप्त है वह दोनों तरह से लाभान्वित

है। जिसमें 04–05 एकड़ में भी एक नौकरी एवं 02एकड़ में भी एक नौकरी तय किया गया। खेदापाली एवं बांधापाली में सम्पूर्ण भूमि का अर्जन सी.बी. एक्ट के तहत् किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार ग्राम पंचायतों एवं न्यूज पेपर में दिया गया था। हमारे अर्जन से पहले गोदावरी लिमिटेड ने अर्जन किया गया। इस पर जो सही है वहीं होगा। दुलेश्वर राठिया को 05 नौकरी में एक नौकरी दिया जाना है जो कि नांमकित किया गया है।

सुनवाई के दौरान 92 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 04 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 7:00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

12/3/21

(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.के. कटारा)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)